Bachelor of Arts

Semester –I

Paper Code –

POLITICAL THEORY – I

राजनीतिक सिद्धान्त –I

विषय सूची

इकाई संग्रह	विषय वस्तु	पृष्ठ संख्या
1.0	इकाई का परिचय	6–45
1.1	इकाई के उद्देश्य	6
1.2	**राजनीतिक सिद्धान्तः अर्थ, स्वरूप, क्षेत्र और महत्व**	**7–21**
1.2.1	परिचय	7
1.2.2	उद्देश्य	7
1.2.3	राजनीतिक सिद्धान्त का अर्थ	7
1.2.4	राजनीतिक सिद्धान्त की प्रकृति	9
1.2.5	राजनीतिक सिद्धान्त का कार्य–क्षेत्र	14
1.2.6	राजनीतिक सिद्धान्त का महत्व	17
1.2.7	निष्कर्ष	19
1.2.8	मुख्य शब्दावली	20
1.2.9	अभ्यास हेतू प्रश्न	20
1.2.10	संदर्भ सूची	21
1.3	**शक्ति की अवधारणा**	**22–35**
1.3.1	परिचय	22
1.3.2	उद्देश्य	22
1.3.3	शक्ति की परिभाषा	22
1.3.4	शक्ति की विशेषताएँ	23
1.3.5	शक्ति के स्त्रोत	26
1.3.6	शक्ति के प्रकार	28
1.3.7	राष्ट्रीय शक्ति का अर्थ	31
1.3.8	राष्ट्रीय शक्ति के निर्धारक तत्व	32
1.3.9	निष्कर्ष	34
1.3.10	मुख्य शब्दावली	34
1.3.11	अभ्यास हेतू प्रश्न	34
1.3.12	संदर्भ सूची	35
1.4	**सत्ता की अवधारणा**	**36–45**
1.4.1	परिचय	36
1.4.2	उद्देश्य	36
1.4.3	सत्ता की परिभाषा	36
1.4.4	सत्ता की विशेषताएँ	37
1.4.5	सत्ता के प्रकार	39
1.4.6	सत्ता के कार्य	41
1.4.7	सत्ता के आधार	42
1.4.8	सत्ता तथा शक्ति में अन्तर	43
1.4.9	निष्कर्ष	44
1.4.10	मुख्य शब्दावली	44

1.4.11	अभ्यास हेतू प्रश्न	45
1.4.12	संदर्भ सूची	45
इकाई – 2		**46–110**
2.0	इकाई का परिचय	46
2.1	इकाई के उद्देश्य	47
2.2	**नागरिकता**	**47–61**
2.2.1	परिचय	47
2.2.2	उद्देश्य	47
2.2.3	नागरिक का अर्थ	47
2.2.4	नागरिक की परिभाषा	48
2.2.5	नागरिक की विशेषताएँ	48
2.2.6	नागरिक के प्रकार	49
2.2.7	नागरिकता	49
2.2.8	नागरिकता की प्राप्ति	50
2.2.9	नागरिकता का समाप्त होना	51
2.2.10	भारतीय नागरिकता	52
2.2.11	भारतीय नागरिकता प्राप्ति अधिनियम 1955	53
2.2.12	नागरिकता के सिद्धान्त	53
2.2.13	आदर्श नागरिकता में बाधाएँ	57
2.2.14	आदर्श नागरिकता के मार्ग में बाधाओं को दूर करने के उपाय	58
2.2.15	निष्कर्ष (Conclusion)	60
2.2.16	मुख्य शब्दावली	60
2.2.17	अभ्यास हेतू प्रश्न	60
2.2.18	संदर्भ सूची	61
2.3	**अधिकार**	**62–74**
2.3.1	परिचय	62
2.3.2	उद्देश्य	62
2.3.3	अधिकार की परिभाषा	62
2.3.4	अधिकारों की विशेषताएँ	63
2.3.5	अधिकारों का वर्गीकरण	64
2.3.6	अधिकारों संबन्धी सिद्धान्त	69
2.3.7	निष्कर्ष	73
2.3.8	मुख्य शब्दावली	73
2.3.9	अभ्यास हेतू प्रश्न	73
2.3.10	संदर्भ सूची	74
2.4	**स्वतन्त्रता**	**75–88**
2.4.1	परिचय	75
2.4.2	उद्देश्य	75
2.4.3	स्वतन्त्रता का अर्थ	75
2.4.4	स्वतन्त्रता की विशेषताएँ	76

2.4.5	स्वतन्त्रता के स्वरूप	77
2.4.6	स्वतन्त्रता का प्रकार	77
2.4.7	स्वतन्त्रता के संरक्षण	80
2.4.8	स्वतन्त्रता और कानून में सम्बन्ध	82
2.4.9	स्वतन्त्रता सम्बन्धी धारणाएँ	84
2.4.10	निष्कर्ष	87
2.4.11	मुख्य शब्दावली	87
2.4.12	अभ्यास हेतू प्रश्न	87
2.4.13	संदर्भ सूची	88
2.5	**समानता**	**89–99**
2.5.1	परिचय	89
2.5.2	उद्देश्य	89
2.5.3	समानता की परिभाषाएँ	89
2.5.4	समानता का अर्थ	90
2.5.5	समानता की विशेषताएँ	91
2.5.6	समानता के प्रकार	91
2.5.7	स्वतन्त्रता और समानता का सम्बन्ध	92
2.5.8	राजनीतिक स्वतन्त्रता और आर्थिक समानताओं में सम्बन्ध	95
2.5.9	निष्कर्ष	98
2.5.10	मुख्य शब्दावली	98
2.5.11	अभ्यास हेतू प्रश्न	98
2.5.12	संदर्भ सूची	99
2.6	**न्याय**	**100–110**
2.6.1	परिचय	100
2.6.2	उद्देश्य	100
2.6.3	न्याय का अर्थ	100
2.6.4	न्याय की परिभाषा	100
2.6.5	न्याय की विशेषताएँ	101
2.6.6	न्याय के भिन्न–भिन्न रूप अथवा पक्ष	102
2.6.7	न्याय सम्बन्धी विचार	105
2.6.8	जान राल्स का वितरणात्मक न्याय का सिद्धान्त	106
2.6.9	निष्कर्ष	109
2.6.10	मुख्य शब्दावली	109
2.6.11	अभ्यास हेतू प्रश्न	110
2.6.12	संदर्भ सूची	110
इकाई – 3	लघु उत्तरात्मक व वस्तुनिष्ठ प्रश्न	111–151

इकाई– 1

1.0 इकाई परिचय

हमारे अपने राजनीतिक आदर्श हो सकते हैं, पर क्या हमें राजनीतिक सिद्धान्तों के अध्ययन की भी जरूरत है? क्या यह राजनीति करने वाले राजनेताओं के लिए या नीति बनाने वाले नौकरशाहों के लिए या राजनीतिक सिद्धान्त पढ़ाने वाले अध्यापकों के लिए ज्यादा उपयुक्त नहीं है? राजनीतिक सिद्धान्त इस तरह के प्रश्नों की पड़ताल करता है और राजनीतिक जीवन को अनुप्राणित करने वाले स्वतंत्रता, समानता और न्याय जैसे मूल्यों के बारे में सुव्यवस्थित रूप से विचार करता है। राजनीतिक सिद्धान्त उन विचारों और नीतियों को व्यवस्थित रूप को प्रतिबिंबित करता है, जिनसे हमारे सामाजिक जीवन, सरकार और संविधान ने आकार ग्रहण किया है। यह स्वतंत्रता, समानता, न्या, लोकतंत्र और धर्मनिपरेक्षता जैसी अवधारणाओं का अर्थ स्पष्ट करता है। यह कानून का राज, अधिकारों का बंटावारा और न्यायिक पुनरावलोकन जैसी नीतियों की सार्थकता की जाँच करता है।

राजनीति–सिद्धान्त की अन्य बहुत–सी संकल्पनाओं की तरह शक्ति की भी कोई एक परिभाषा नहीं मिलती। साधारणतः लोग जो कुछ नहीं करना चाहते, उनसे वैसा कराने की क्षमता को शक्ति की संज्ञा दी जाती है। वर्तमान युग में शक्ति राजनीति की एक मौलिक धारणा है। यह उसी प्रकार राजनीति का केन्द्रीय तत्व है जिस प्रकार समाज का केन्द्रीय ततव व्यक्ति और अर्थशास्त्र का केन्द्रीय तत्व धन है। हालांकि राजनीति में शक्ति की अवधारणा कोई नया विचार नहीं है किन्तु इसका आधुनिक रूप अमरीकी राजनीति शास्त्रियों ने प्रस्तुत किया है। शक्ति की अवधारणा का विकास कई चरणों में हुआ है।

राजनीति के अन्तर्गत किसी भी निर्णय को लागू करने के लिए शक्ति प्रयोग आवश्यक है। परन्तु शक्ति की भूमिका सबसे प्रभावशाली वहां सिद्ध होती है जहां शक्ति केवल बल–प्रयोग का साधन नहीं रह जाती, बल्कि वैधता कर लेती है। संक्षेप में, सत्ता किसी व्यक्ति, संस्था, नियम या आदेश का ऐसा गुण या क्षमता है जिसके कारण उसे सही या प्रामाणिक मानकर स्वेच्छा से उसके निर्देशों का पालन किया जाता है। सत्ता के प्रयोग के कारण ही आधिकारिक नीतियां, नियम और निर्णय समाज में स्वीकार किए जाते हैं और प्रभावशाली ढंग से लागू किए जाते हैं।

1.1 इकाई के उद्देश्य

1. राजनीतिक सिद्धान्त का उद्देश्य नागरिकों को राजनीतिक प्रश्नों के बारे में तर्कसंगत ढंग से सोचने का प्रशिक्षण देना।
2. राजनीतिक घटनाओं को सही तरीके से आकलन करना।
3. राजनीतिक संस्थाओं और समस्याओं के बारे में जानना।
4. राजनीति में शक्ति के लिए संघर्ष को समझना।
5. सत्ता के कौन–कौन से आधार है, उनको जानना।

राजनीतिक सिद्धान्तः अर्थ, स्वरूप, क्षेत्र और महत्त्व

(Political Throry : Meaning, Nature, Scope and Significance)

1.2.1 परिचय

आज का मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है जो अपने चारों ओर होने वाली गतिविधियों को समझने का प्रयत्न करता है। वह सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था और यहां तक कि अपने आप को भी जानने की लालसा रखता है। मनुष्य के इसी स्वभाव के कारण ही अनेक प्रकार के शास्त्रों का जन्म हुआ और शताब्दियों से उन पर खोज चल रही है। इन्हीं आवश्यकताओं के कारण ही राजनीतिक सिद्धान्त (Political Throry) का जन्म हुआ। बहुत–सी राजनीतिक संस्थाओं तथा समस्याओं के बारे में विचार किया गया तथा निष्कर्ष निकाले गए जिनकी सहायता से कुछ नियमों का निर्माण किया जाता है। यही नियम, सिद्धान्त बन जाते हैं। यह देखने में आया है कि लोग प्रायः राजनीतिक सिद्धान्त (Political Throry), राजनीतिक दर्शन (Political Philosophy), राजनीतिक विज्ञान (Political Science) आदि शब्दों के अर्थ एक जैसे समझते हैं। परन्तु सैद्धान्तिक सत्यता इसके विपरीत है। क्योंकि इन शब्दों के अर्थ एक जैसे नहीं हैं। राजनीतिक सिद्धान्त न तो राजनीतिक दर्शन (Political Philosophy) है, और न ही राजनीतिक विज्ञान (Political Science) है। राजनीतिक सिद्धान्त (Sub Political Theory) इसका अपना ही एक विशेष अर्थ और स्वरूप है।

1.2.2 उद्देश्य

1. राजनीतिक सिद्धान्त सम्बन्धी मान्यताओं, विकसित पद्धतियों और प्रविधियों को समझना।
2. राजनीतिक सिद्धान्त की वैज्ञानिक पद्धति व तथ्यों को जानना।
3. राजनीतिक सिद्धान्त में परम्परागत राजनीतिक सिद्धान्त के मूल्यों, आदर्शों व नैतिकता को जानना।
4. राजनीति विज्ञान में सिद्धान्त निर्माण की समस्याओं को समझना।
5. राजनीतिक सिद्धान्त की उपयोगिता के महत्व को जांचना।

1.2.3 राजनीतिक 'सिद्धान्त' का अर्थ (Meaning of Political Throry)

काइडन (Kiden) ने राजनीतिक 'सिद्धान्त' (Theory) को सभ्य मानव जाति की प्रगति का आवश्यक उपकरण (Tool) माना है। वस्तुतः सिद्धान्त शब्द के अनेक अर्थ हैं। कोहन (Cohan) के अनुसार "यह शब्द एक खाली चैक के समान है, जिसका सम्भावित मूल्य उनके उपयोगकर्त्ता एवं उसके उपयोग पर निर्भर करता है।"

राजनीतिक 'सिद्धान्त' को अंग्रेजी में पॉलिटिकल थियोरी (Political Theory) कहते हैं। 'थियोरी' शब्द की उत्पत्ति एक ग्रीक भाषा के शब्द 'थ्यौरिया' (Theoria) से हुई जिसका अर्थ है 'एक मानसिक दृष्टि' जो कि एक वस्तु के अस्तित्व और उसके कारणों को प्रकट करती है। केवल 'वर्णन' (Description) या 'किसी लक्ष्य के विषय में कोई विचार या सुझाव देना' (Proposal or goal) ही सिद्धान्त नहीं कहलाता। सिद्धान्त के अन्तर्गत "किसी भी विषय के सम्बन्ध में एक लेखक की पूरी सोच या समझ शामिल रहती है। उसमें तथ्यों का वर्णन, उनकी व्याख्या, लेखक का इतिहास बोध, उसकी मान्यताएं और वे लक्ष्य शामिल हैं जिनके लिए किसी भी सिद्धान्त का प्रतिपादन किया जाता है।" ("Theory comprises a thinker's entire teaching on a subject, including his description of the fasts, his explanations, his conception of history, his explanation, his value judgements and his proposals of goals of policy, and of principles" – Arnold Brecht)

विभिन्न विद्वानों ने राजनीतिक सिद्धान्त की भिन्न–भिन्न परिभाषाएं दी हैं। इनमें से कुछ इस प्रकार हैंः–

एन्ड्रयू हेकर (Andrew Hacker) के अनुसार, "राजनीतिक सिद्धान्त में 'तथ्य' (Facts) और मूल्य (Values) दोनों समाहित हैं। वे एक दूसरे के पूरक हैं।" दूसरे शब्दों मे हर सिद्धान्त शास्त्री एक वैज्ञानिक और 'दार्शनिक', दोनों की भूमिका निभाता है। ("Every political throriest worthy of the name plays double role.... He is part scientist and part philosopher and he will divide his time between the two pursuits according to his own temperament and interests.")

जेर्मिनो (Germino) के अनुसार, "राजनीतिक सिद्धान्त मानवीय सामाजिक असतित्व की उचित व्यवस्था के सिद्धान्तों का आलोचनात्मक अध्ययन है।" ("Political throry is the critical study of the principles of right order in human social existence.")

जार्ज सेबाइन (George Sabine) के अनुसार "व्यापक तौर पर राजनीतिक सिद्धान्त से अभिप्राय उन सभी बातों से है जो कि राजनीति से सम्बन्धित या प्रासंगिक हैं और संकीर्ण दृष्टि में इसका अर्थ राजनीतिक समस्याओं की विधिवत छानबीन से है।" ("Broadly political theory means ' as anything about politics or relevant to politics' and narrowly as the disciplined investigation of political problems.")

जोहन पलामैंटज (J. Plamentz) के अनुसार, "राजनीतिक सिद्धान्त से मेरा अभिप्राय सरकार के कुछ कार्यों की व्याख्या करना नहीं है, अपितु इससे मेरा अभिप्राय सरकार के उद्देश्यों सम्बन्धी व्यवस्थित चिन्तन है।" ("By political throry I do not mean explanation of some Government functions, I mean systematic thinking bout the purpose of Government.")

वर्तममान युग के प्रसिद्ध लेखक डेविड हैल्ड (Devid Held) के इस विचार से हम सहमत हैं कि, "राजनीतिक सिद्धान्त राजनीतिक जीवन से सम्बन्धित अवधारणाओं (Concepts) और व्यापक अनुमानों (Generalizations) का एक ऐसा ताना–बाना है, जिसमें शासन राज्य और समाज की प्रकृति व लक्ष्यों और मनुष्यों की राजनीतिक क्षमताओं का विवरण शामिल है।" ("Political throries are complex networks' of concepts and generalizations bout political life involving Ideas, assumptions and statements bout the nature, purposes and key features of Government, State and Society and about the political capabilities of human beings.")

राजनीतिक सिद्धान्त की ऊपर दी गई परिभाषाओं से यह स्पष्ट है और सभी रजानीतिक सिद्धान्तार इस बात से सहमत हैं कि राजनीतिक सिद्धान्त, राजनीति विज्ञान की एक उपशाखा है और यह उन विचारों का समूह है जिनके आधार पर राजनीतिक तथ्यों या राज्य के सर्वपक्षीय स्वरूप की व्याख्या की जा सकती है। राजनीतिक सिद्धान्त में ऐसे विचार व धारणाएं शामिल होती हैं, जिनकी सहायता से राजनीतिक व्यवहार या तथ्यों के नैतिक, दार्शनिक और व्यवहारिक पक्षों की उचित व्याख्या की जाती है। जब कोई राजनीतिक घटना घटती है, जो उसका व्यवहारिक निरीक्षण करने के लिए कुछ परिणाम निश्चित करने के लिए राजनीतिक सिद्धान्त की सहायता अनिवार्य होती है। इसके अतिरिक्त ऊपर दी गई परिभाषाओं के आधार पर यह भी कहा जा सकता है कि राजनीतिक सिद्धान्त में (1) अवलोकन (Observation), (2) व्याख्या (Explanation), (3) मूल्यांकन (Value-Judgement) ये तीन तत्त्व शामिल हैं। जिनका संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार हैः–

(1) अवलोकन (Observation):– यदि हम किसी ऐसे राजनीतिक विचारक का अध्ययन करें जिसने किसी सिद्धान्त–निर्माण का कार्य किया है तो हमें यह दिखाई देगा कि वह केवल काल की राजनीति के किसी विशेष पक्ष से चिंतित अथवा असंतुष्ट था। उसके द्वारा उस काल की घटनाओं का उल्लेख अपने विचारों की पुष्टि

के लिए किया गया। प्लेटो, मैक्यावली, हाब्स, लॉक, कार्ल मार्क्स, लार्ड ब्राईस आदि सभी विद्वानों ने तत्कालीन परिस्थितियों का विवेचन इस कारण से किया है, कि वे उन परिस्थितियों से असंतुष्ट थे।

उदाहरण के तौर पर – लार्ड ब्राईस ने लोकतंत्रीय सरकारों की सफलता और दुर्बलता की जाँच के लिए न सिर्फ ग्रन्थों का ही सहारा लिया बल्कि अपने समय के प्रमुख लोकतंत्रीय देशों की कार्य प्रणाली का बहुत निकटता से अध्ययन किया। यह अध्ययन कुछ मान्यताओं के आधार पर किया गया जैसे कि यह मान्यता कि 'लोकतन्त्र में न्यायपालिका स्वतन्त्र होती है' आदि।

(2) व्याख्या (Explanation):– तथ्यों या घटनाओं का संकलन करके अनावश्यक सामग्री कांट–छांट कर अलक कर दी जाती है। उनका माप–तोल या परीक्षण करके 'कारण और कार्य' (Cause and Effect) के बीच सम्बन्ध स्थापित किया जाता है, इसे हम सिद्धान्त कह सकते हैं तथा इसे हम सामान्यीकरण भी कहते हैं, जिसका अर्थ है 'निष्कर्ष को सामान्य नियमों का रूप देना।' सिद्धान्त की वैज्ञानिकता इस बात पर निर्भर करती है कि तत्यों का चयन औ उनकी व्याख्या करते समय कितनी निष्पक्षता बरती गई है। लार्ड ब्राइस का यह निष्कर्ष आज भी बड़ा मूल्यवान समझा जाता है कि 'पैसे की शक्ति ने विधान–मंडल और प्रशासन दोनों को पथभ्रष्ट कर दिया है।'

(3) मूल्यांकन (Value-Judgement):– राजनीति का लेखक एक 'वैज्ञानिक' और 'दार्शनिक' दोनों की भूमिका निभाता है। वह वैज्ञानिक विधियों का सहारा ले सकता है, पर उसके अपने कुछ 'मूल्य और आदर्श' भी होते है। डेविड हैल्ड ने कहा है कि "आदर्शपूरक प्रश्नों' (Normative Questions) से राजनीति विज्ञान बच नहीं सकता। केवल 'वर्णन' और 'व्याख्या' के प्रति निष्ठा या समर्पण से ही काम नहीं बनेगा। राजनीतिक सिद्धान्त में किसी भी परियोजना के अंतर्गत 'दर्शन' (Philosophy) और 'विज्ञान' (Science) एक–दूसरे का स्थान नहीं ले सकते।"

1.2.4 राजनीति सिद्धान्त की प्रकृति (Nature of Political Theory)

'राजनीतिक सिद्धान्त' का इतिहास बहुत पुराना है। मुख्य रूप से इसे दो भागों में बांटा जा सकता है:–

(क) परम्परागत अथवा शास्त्रीय चिंतन (Traditional or Classicial Political Throry)

(ख) आधुनिक राजनीतिक चिंतन (Modern Political Thrtory)।

परम्परागत राजनीतिक चिन्तन से सम्बन्धित लेखकों में प्लेटो, अरस्तू, हाब्स, लॉक, कॉंट, हीगल, कार्ल मार्क्स तथा मान्टेस्क्यू आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।

(क) परम्परागत राजनीतिक सिद्धान्त की विशेषताएं (Charaterstics of Traditional orClassical Theory)

परम्परागत राजनीतिक सिद्धान्त की कुछ विशेषताएं इस प्रकार हैं:–

1. **समस्याओं का समाधान करने का प्रयास (Study for Solving Problems)**:– परम्परागत लेखकों की रचनाओं पर अपने युग की घटनाओं का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है और वे अपने–अपने ढंग से इन समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए प्रयत्नशील थे। उदाहरण स्वरूप 'प्लेटो' के सामने यूनान के नगर–राज्यों के आपसी ईर्ष्या–द्वेष तथा कलह का जो वातावरण मौजूद था, उससे छुटकारा पाने के लिए उसने 'दार्शनिक राजा' (Philosphor King) के सिद्धान्त की रचना की। उस व्यवस्था का उद्देश्य शासक वर्ग को निजी स्वार्थ से ऊपर रखना था। इटली की तत्कालीन स्थिति को देखकर 'मैक्यावली' इस परिणाम पर पहुंचा कि शासक के लिए अपने राज्य को विस्तृत तथा मजूबत बनाने के लिए झूठ कपट, हत्या और अन्य सभी साधन उचित हैं।

2. **मुख्यतः वर्णनात्मक अध्ययन (Mainly Descriptive Stueies)**:– परम्परागत चिंतन मुख्यतः वर्णनात्मक है। इसका अर्थ यह है कि इसमें राजनीतिक संस्थाओं का केवल वर्णन किया गया है। अतः यह न तो व्याख्यात्मक है, न विश्लेषणात्मक और न ही इसके माध्यम से राजनीतिक समस्या का समाधान हो पाया है। विद्वानों

के अनुसार राजनीतिक संस्था का वर्णन मात्र पर्याप्त है ओर उनके द्वारा इस बात पर विचार नहीं कियागया है कि संस्थाओं तथा भिन्नताओं के मूल में कौन–सी ऐसी परिस्थितियां हैं जो इन्हें प्रभावित करती हैं।

3. **परम्परागत चिन्तन पर दर्शन, धर्म तथा नीतिशास्त्र का प्रभाव (Influence of Philosophy, Religion and Ethics on Classical Studies)**:– परम्परागत चिंतन की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि वे दर्शन तथा धर्म से प्रभावित रहे हैं तथा उनमें नैतिक मूल्य विद्यमान रहे हैं। यद्यपि प्लेटो तथा अरस्तु के चिंतन में यह कुछ हद तक दिखाई देते हैं, परन्तु इनका स्पष्ट उदाहरण मध्य युग में इसाई धर्म का राजधर्म में परिवर्तन हो जाने पर प्राप्त हुआ। उस समय राज्य तथा 'धर्म संघ' (Church) के आपसी सम्बन्धों को लेकर एक भीषण विवाद चल पड़ा। यूरोप के कई विद्वानों ने ये कहा कि राज्य की तुलना में 'चर्च' श्रेष्ठ है और धार्मिक अधिकारी लौकिक (Worldly) मामलों में भी हस्तक्षेप कर सकते हैं। सेंट टामस एक्वीनास (St. Thomas Acquinas) आदि विचारक इसी मत के थे। दूसरी और विलियम ऑकम (William of Occam) ने 'राजसत्ता' को 'चर्च' से उच्चतर माना।

4. **मुख्यतः निगमनात्मक अध्ययन (Deductive Reasoning and Normative Stueies)**:– अधिकांश परम्परावादी लेखकों ने 'निगमनात्मक विवेचन' (Deductive Reasoning) अथवा 'मानकीय उपागम' (Normative) का सहारा लिया। इन लेखकों ने वैज्ञानिक विधियों का उपयोग नहीं किया। 'मानकीय उपागम' का अर्थ है कि मस्तिष्क में किन्हीं आदर्शों की कल्पना कर लेने के बाद उस कल्पना को व्यवहारिक रूप देने के लिए सिद्धान्तों का निर्माण करना। इस अध्ययन पद्धति को अपनाने वाले लेखकों में प्लेटो, रूसो कॉंट, हीग़ल और वर्क आदि प्रमुख हैं।

प्लेटो ने 'दार्शनिक शासक' (Philosoher-King) के आदर्श को हमारे समक्ष रखा जबकि रूसो ने 'सामान्य इच्छा' (General will) का सिद्धान्त अपने मनगढ़न्त आदर्श के आधार पर रखा। रूसो के अनुसार 'सामान्य इच्छा' कभी भी असत्य नहीं हो सकती तथा वही शासन अच्छा होगा जो 'सामान्य इच्छा' के अनुसार चलाया जाएगा। हीगल (Hegel) ने लिखा है कि पूर्व विकसित राज्य राजतन्त्र हो सकता है, तथा इस राज्य में सम्राट राज्य की एकता का प्रतीक है, अपितु कुछ परम्परागत लेखक ऐसे भी हैं जिन्होंने 'मानवीय उपागम' के साथ–साथ 'आनुभाविक उपागम' (Empirical Approach) को भी अपनाया। उन्होंने 'तथ्यों तथा आंकड़ों' का संकलन करके उनका विधिवत विश्लेषण किया। उदाहरण के लिए – अरस्तु ने अपने काल के 158 नगर राज्यों के संविधानों का अध्ययन किय और उसके बाद ही उसने आदर्श 'राज्य' की कल्पना की थी। इसी प्रकार मार्क्स के विचारों में भी मानवीय तथा आनुभविक, दोनों पद्धतियों का मिलाजुला रूप मिलता है।

5. **औपचारिक, संस्थागत तथा कानूनी (Formal, Institutional and Legal)**:– परम्परागत अध्ययन मुख्यतः औपचारिक संस्थाओं, संविधान तथा कानून से सम्बन्धित था। इसके अध्ययन की प्रमुख पद्धतियां ऐतिहासिक (Legal) थीं। उस काल के लेखकों ने केवल औपचारिक संस्थाओं का ही वर्णन किया, उनके व्यवहार के परिक्षण पर बल नहीं दिया। उदाहरण के लिए – लास्की तथा डायसी आदि विद्वानों ने अपने अध्ययनों में संस्थाओं के औपचारिक (Formal) तथा कानूनी (Legal) रूप का ही अध्ययन किया।

6. **अध्ययन क्षेत्र का प्रमुख 'प्रतिमान' और 'अवधारणाएं' (**Study of 'models' anf 'Concepts')**:–** परम्परागत राजनीति विज्ञान के अध्ययन के प्रमुख विषय प्रतिमान (Models) और अवधारणाएं (Concepts) राज्य (State) 'सम्प्रभुत्ता' (Sovereignty) 'कानून' (Legal) तथा 'राष्ट्रवाद' (Nationalism) थे। इन्हें परम्परागत इसलिए कहा गया है, क्योंकि ये काफी पुराने हैं तथा इन्हें सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया है।

7. **मूल्य सापेक्ष (Value Loaded)**:– परम्परागत राजनीति विज्ञान मूल्य सापेक्ष (Value Loaded) है। इसका दार्शनिक दृष्टि से मूल्यों (Value), आदर्शों (Ideals) तथा लक्ष्यों (Aims) से भी गहरा सम्बन्ध है।

मूल्यांकन (An Evaluation)

परम्परागत रचनाओं का अपना महत्त्व है जो इस प्रकार दर्शाया जा सकता है:–

(क) उपयोगी (Useful):– परम्परागत विद्वानों के विश्लेषण काफी उपयोगी सिद्ध हुए। विशेषकर प्लेटो, अरस्तु, हाब्स आदि विचारकों की कृतियाँ आज भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। हीगल के 'वाद' 'प्रतिवाद' ओर 'संवाद' (Thesis, Antithesis and Synthesis) के सिद्धान्त ने राजनीतिक विचारों के विकास में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया है। लॉक के 'स्वतन्त्रता' और 'प्राकृतिक' अधिकारों की व्याख्या आज भी विशेष महत्व रखती है।

(ख) आधुनिक राजनीतिक सिद्धान्त का स्वरूप (Nature of Modern Political Theory) अथवा **आधुनिक राजनीतिक सिद्धान्त की विशेषताएँ (Characteristics of Modern Political Theory)**:– द्वितीय महायुद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका तथा पश्चिमी जगत राजनीति विज्ञान की धारणा में क्रान्तिकारी परिवर्तन हुए। चार्ल्स ई. मेरियम (Charles E-Merriam) ने अपने ग्रन्थ 'न्यु आस्पेक्टस ऑफ पॉलीटिक्स' (New Aspects of Politics) में यह संकेत दिया था कि राजनीति के विज्ञान को एक नया मार्ग ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि 'राजनीतिक सिद्धान्त' ऐसी शक्तियों के सम्पर्क में आ गया है कि कालांतन में वे इसकी प्रक्रिया (Process) को मूलतः संशोधित कर देंगी।

आधुनिक राजनीतिक सिद्धान्त के विकास में सबसे अधिक योगदान 'आनुभाविक पद्धति' (Empirical Methods) ने दिया है। इन पद्धतियों मे इस बात पर बल दिया जाता है कि राजनीति के अध्ययन के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनया जाए और 'तथ्यों' तथा 'आंकड़ों' (Facts ad Figures) पर विशेष बल दिया जाए। वर्तमान सिद्धान्त शास्त्री 'शक्ति' (Power), 'सत्ता' (Authority), 'राजनीतिक अभिजन' (Political Elite), 'राजनीतिक प्रभाव' (Political Influence), 'राजनीतिक विकास' (Political Development) तथा 'राजनीतिक संस्कृति' (Political Culture) जैसी अवधारणाओं पर विशेष रूप से बल दे रहे हैं। 'शक्ति' सिद्धान्त की पुष्टि चार्ल्स मेरियम (Charles Merriam) तथा हैराल्ड लासवेल (Harold Lasswel) द्वारा की गई। जबकि जी. मोस्का (G. Mosca), राबर्ट काईकेल्स (Robert Michels) तथा पेरैंटों (Pareto) ने राजनीतिक अभिजन (Poltical Elite) के सिद्धान्त को विकसित किया। सन् 1953 में डेविड ईस्टन की पुस्तक 'दि पॉलिटिकल सिस्टम' (The Political System) छपी, जिसमें उन्होंने निर्णय लेने की प्रक्रिया को 'निवेश' (Input) तथा 'निर्गत' (Output) के माध्यम से समझाया हैं जनता की मांगें 'निवेश' तथा संसद, कार्यपालिका व न्यायपालिका द्वारा लिए गए विशेष निर्णय 'निर्गत' हैं।

कुछ सिद्धान्त शास्त्रियों ने राजनीति में एक नई क्रान्ति को जन्म दिया, जिसको व्यवहारवादी क्रान्ति (Behaviourla Revolution) के नाम से पुकारा जाता है। व्यवहारवादी क्रान्ति एक प्रकार से परम्परागत सिद्धान्त–शास्त्रियों के प्रति असंतोष का परिणाम थी। व्यवहारवादी लेखकों – जिसमें राबर्ट ए. डहल (Robert A. Dahl), डेविड ईस्टन (Devid Easton) तथा पावेल (Powell) विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं, ने राजनीति को अन्य 'प्राकृतिक विज्ञानों' की भांति एक 'शुद्ध विज्ञान' बनाने पर बल दिया। उन्होंने 'राजनीतिक दलों' 'दबाव समूहों', 'जनमत', 'मतदान आचारण' तथा विधानमण्डल कार्यपालिका और न्यायपालिका के व्यवहारिक आचरण पर बल दिया। सन् 1970 के दशक में कुछ ऐसे लेखक सामने आए जिन्होंने वैज्ञानिक पद्धति को अपनाते हुए 'मूल्यों' का भी परित्याग नहीं किया। इन लेखकों में कार्ल पॉपर (Karl Popper) तथा जान राल्स (John Rawls) आदि शामिल थे। सन् 1990 के दशक में जिन लेखकों ने राजनीतिक सिद्धान्तों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया उनमें जॉन डनन (John Dunn), स्अीवन लूकेज़ (Steven Lukes), सूसैन ऑकिन (Susan Okin) तथा डेविड हैल्ड (David Held) के नाम उल्लेखनीय हैं।

आधुनिक राजनीतिक सिद्धान्त की विशेषताएँ निम्नलिखित हैंः–

1. परम्परागत सीमाएं छोड़कर अध्ययनः– राजनीतिक विद्वान अब परम्परागत सीमाएं छोड़कर अध्ययन करते हैं। राजनीतिक वैज्ञानिक अब 'तथ्य और घटनाएँ' (Facts and Figures) जहाँ कहाँ भी उपलब्ध हों, चाहे वे समाजशास्त्र (Sociology), अर्थशास्त्र (Economics) अथवा धर्म (Rrligion) से सम्बन्धित हो, चाहे वे व्यक्ति, परिवार, राष्ट्र अथवा विश्व से सम्बन्धित हों, अब राजनीति के अध्ययन के विषय बन गये हैं। विद्वानों की ये भवना रहती है कि परिस्थितियों का गहन अध्ययन किया जाए और उन्हीं को वास्तविक अवधारणाओं (Concepts) का आधार बनाया जाए। ईस्टन (Easton), डहल (Dahl), आल्मण्ड (Almond) तथा वेबर (Weber) आदि विद्वानों ने व्यक्ति के कार्यों व उनके व्यवहार के 'विश्लेषणात्मक अध्ययन' (Analytical Study) पर बल दिया है, जिससे राजनीतिक व्यवस्था को अच्छी प्रकार से समझने में आसानी हो।

2. अध्ययन की अन्तः शास्त्रीय पद्धति (Interdisciplinary Approach ot the Study of Politics):– आधुनिक युग में राजनीति के अध्ययन के लिए अन्य विधाओं से सहयोग लेने की प्रवृति को विशेष बढ़ावा मिला है। राजनीति विज्ञान समाज–शास्त्र (Sociology), अर्थशास्त्र (Economics) और मनोविज्ञान (Psychology) की अध्ययन पद्धतियों और निष्कर्षों को ग्रहण कर रहा है। ग्राहम वालास (Grahm Wallas) आर्थर बेन्टले (Arthur Bentley), चार्ल्स मेरियम (Charles Merriam) और हैराल्ड लासवैल (Harold Lasswell) आदि विद्वानों ने समाजशास्त्र और मनोविज्ञान के प्रतिमानों (Models) को ग्रहण करने पर बल दिया है। अतः किसी समाज की राजनीतिक व्यवस्था को ठीक ढंग से समझने के लिए उस समाज की आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक व्यवस्था का अध्ययन करने की आवश्यकता है।

   वर्तमान समय में ये धारणा जोर पकड़ रही है कि भूमण्डलीकरण अथवा वैश्वीकरण (Globalization) की प्रक्रिया को समझे बिना 'राज्य' के बारे में कोई चिंतन नहीं किया जा सकता। राजनीतिक सिद्धान्त में विश्व अर्थव्यवस्था, अन्तर्राष्ट्रीय कानून तथा अर्न्तराष्ट्रीय सम्बन्धों का अध्ययन अलग–अलग नहीं बल्कि एक साथ करने की आवश्यकता है। इसका कारण यह हे कि ये सभी तत्त्व राज्य के कार्यक्षेत्र और उसकी प्रभुसत्ता को प्रभावित करते हैं।

3. मूल्य निरपेक्ष अर्थात् तटस्थ अध्ययन (Value-Free Studies):– आधुनिक लेखक विशेषकर व्यवहारवादियों (Behaviourlists) ने 'मूल्य निरपेक्ष राजनीति विज्ञान' (Value free Studies) पर बल दिया है। उनका मानना है कि राजनीकि विचारकों को 'मूल्य निरपेक्ष' अर्थात् तटस्थ (Netural) रहना चाहिए। उन्हें 'क्या होना चाहिए?' के स्थान पर 'क्या है?' का उत्तर खोजना चाहिए। राजनीतिक विचारकों का काम सही या गलत बतलना नहीं है बल्कि लेखकों को चाहिए कि वे 'तथ्यों' और 'आंकड़ों' का मात्र वर्गीकरण और विश्लेषण करें उन्हें ये कहने का कोई अधिकार नहीं कि कौन–सी शासन प्रणाली 'अच्छी' या कौन–सी शासन प्रणाली 'बुरी' है। क्योंकि 'अच्छा' अथवा 'बुरा' मूल्य सापेक्ष है न कि निरपेक्ष।

4. आनुभाविक अध्ययन (Empirical Study):– आधुनिक विद्वानों ने राजनीति को 'विशुद्ध विज्ञान' बनाने के लिए राजनीतिक तथ्यों की नाप–तोल पर विशेष बल दिया इसमें उन्होंने नयी–नयी तकनीकें जैसे जनगणना अभिलेखों (Census Records) और आंकड़ों का अध्ययन करना तथा जनमत जानने की विधियों (Opinion Polls), साक्षात्कारों और जातीय अध्ययनों (Ethonographical Stueies) के द्वारा कुछ परिणाम निकालना आदि शामिल हैं। डेविड़ ईस्टन ने इस बात पर बल दिया "खोज सुव्यवस्थित रूप से की जानी चाहिए। यदि कोई सिद्धान्त आंकड़ों पर आधारित नहीं है तो वह निरथर्क साबित होगा।" (Research ought to be systematic, theory, unsupported by data, may prove tutile.) हैराल्ड लासवैल (Harold Laswell), चार्ल्स मेरियम (Charles Merriam) आदि लेखकों ने राजनीति को 'विज्ञान' बनाने का प्रयास किया।

राजनीति के कुछ क्षेत्रों में अध्ययन की विशेषकर मतदान और चुनावी आचरण (Voting Behaviour) आदि क्षेत्रों में इस प्रणाली से बड़ी सुविधा हुई।

परन्तु वैज्ञानिक विधियों के प्रयोग की कुछ सीमाएं हैं। जैसे कि राजनीति 'मानवीय जीवन' से सम्बन्ध रखती है, मनुष्य विचारशील प्राणी है। वह विचार और व्याख्या करने की क्षमता रखता है (Idividual is a self-interpreting social being)। उस पर इस प्रकार के प्रयोग नहीं किये जा सते, जो प्राकृतिक वस्तुओं अथवा जड़ पदार्थों पर किये जा सकते हैं।

5. समस्या समाधान का प्रयास (Problem Solving Efforts):– राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न जैसे 'राजसत्ता' (Power of the State), व्यक्तिगत स्वतन्त्रता (Individual Autonomy), 'प्रभुसत्ता' (Sovereignty), न्याय (Justice) तथा लोकतन्त्र जैसी अवधारणाओं (Concepts) का समुचित समाधान ढूंढने का प्रयास पुरातन काल से किया जा रहा है। आधुनिक सिद्धान्त शास्त्री जिन समस्याओं से जूझ रहे हैं – वे युद्ध और शान्ति (War and Peace), बेरोजगारी (Unemployment), सामाजिक हलचल (Social Trumoil), असमानता (Inequality) तथा पर्यावरण (Environment) आदि से सम्बन्ध रखती हैं।

6. शोध एवं सिद्धान्त में घनिष्ठ सम्बन्ध (Research and Theory are co-related):– वैज्ञानिक पद्धति के प्रयोग द्वारा राजवैज्ञानिक साधारणीकरणों, व्याख्याओं एवं सिद्धान्तों के निर्माण में लगे रहते हैं। शोध (Research) और सिद्धान्त (Theory) अब एक दूसरे के बिना निरर्थक माने जाते हैं। आधुनिक राजनीतिक शास्त्रियों का एकमात्र उद्देश्य राजनीति के सैद्धान्तिक प्रतिमानों को विकसित करना है। इसी आधार पर ये राजनीतिक घटनाओं एवं तथ्यों के सम्बन्ध में खोज करते हैं और उनका विश्लेषण (Analysis) करते हैं।

7. अनौपचारिक तत्त्वों का अध्ययन (Study of Informal Factors):– आधुनिक व्यवहारवादी विचारकों जैसे डहल (Dahl), डेविड ईस्टन (Devid Easton), आल्मण्ड (Almond) तथा पावेल (Powell) के अनुसार परम्परागत अध्ययन की औपचारिक संस्थाओं जैसे राज्य, सरकार व राजनीतिक दल (Political Party) आदि का ही अध्ययन काफी नहीं है। वे राजनीतिक वास्तविकताओं को समझने के लिए उन सभी अनौपचारिक तत्त्वों का भी अध्ययन करना आवश्यक समझते हैं, जो राजनीतिक संगठन के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। वह जनमत, मतदान आचरण, विधानमण्डल, कार्यपालिका, न्यायपालिका, राजनीतिक दल तथा दबाव समूहों के अध्ययन पर भी बल देते हैं।

8. उत्तरव्यवहारवादी क्रान्तिः मूल्यों को पुनः स्वीकार करने की पद्धति (Post-Behavioral Revolution : Acceptance of Values in the Study of Politics):– व्यवहारवादी क्रान्ति ने आदर्शों तथा मूल्यों को पूर्णतः अस्वीकार कर दिया था। राजनीति को पूर्ण विज्ञान बनाने की चाह में व्यवहारवादी लेखक 'आकड़ों तथा तथ्यों' (Facts and Figures) में ही उलझ कर रहे गये थे। उन्होंने किसी आदर्श व लक्ष्य के साथ जुड़ने से साफ इंकार कर दिया। परन्तु शीघ्र ही एक नई क्रान्ति का उदय हुआ जिसे त्तर व्यवहारवादी (Post-Behaviouralism) के नाम से पुकारा जाता है। इस युग के सिद्धान्त शास्त्रियों के यह अनुभव हुआ कि राजनीति प्राकृतिक विज्ञानों की भान्ति पूर्ण विज्ञान का रूप नहीं ले सकती। उत्तर व्यवहारवादी विक्ष्वानों ने इस बात पर बल दिया कि सिद्धान्त शास्त्री समस्याओं के समाधान से मुंह नहीं मोड़ सकते, अतः उन्होंने 'मानवीय उपागम' (Normativer Approach) और 'अनुभावित उपागम' (Empirical Approach) दोनों को स्वीकार किया। डेविड ईस्टन ने कहा है कि, "यह मानकर चलना गलत है कि मूल्य निरपेक्ष हुए बिना कोई व्यक्ति वैज्ञानिक नहीं हो सकता। उन्होंने एक ऐसे सिद्धान्त पर बल दिया जो अनुभाविक उपागम पर आश्रित होने के बावजूद नैतिक मूलयों को प्रोत्साहन दे। डेविड ईस्टन लिखता है कि, "आप चाहे जितना भी प्रयत्न क्यों न करें, मूल्यों को आप इतनी सुगमता से नहीं नकार सकेंगे, जितनी सुगमता से आप अपने

कोट को उतार कर फेंक देते हैं। मूल्य हमारे व्यक्तित्व का अभिन्न अंग हैं। मनुष्य होने के नाते हम अपने मनोभावों और अपनी पसंद और ना पसंद से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते।" (Whatever effort is exerted, values can not be shed, in the way, a person revmoves his coat. They are an integral part of the personality and as we are human, we can assume that our mental sets and preferences will be with us.)। ईस्टन की भान्ति ही कोबन ने भी 'मूल्यों के पुनर्निर्माण' (Reconstruction of Values) पर बल दिया। जान रॉल्स ने उन सिद्धान्तों और प्रक्रियाओं का पता लगाने की कोशिश की जिन पर चलकर हम 'नयायोचित समाज की स्थापना कर सकते हैं। अर्थात् मात्र मूल्य निरपेक्ष पर जोर देने से काम नहीं चलेगा। आधुनिक सिद्धान्त शास्त्री यह मानने लगे हैं कि 'सभी मूल्य एक जेसे नहीं हो सकते हैं।' (All values cannot be treated as equal)। ऐलन बाल लिखता है कि "ऐसे अनेक उदाहरण मिल जाएंगे कि व्यक्तियों ने उन मूल्यों की रक्षा के लिए जिन्हें वे श्रेष्ठ समझते थे क्रूर व्यवहार का सामना किया और घोर यातनाएं सहन की।" (Individuals are prepared... to undergo aavage ill-treatment and torture in the belief that some political values are superior to others.)

1.2.5 राजनीतिक सिद्धान्त का कार्य–क्षेत्र (Scope of Political Theory)

राजनीति का क्षेत्र उतना ही व्यापक है जितनी की मनुष्य की गतिविधियां। जीवन का कोई भी क्षेत्र या पहलू ऐसा नहीं जो राजनीति से अछूता रह सके। उदारवादियों (Liberal Thinkers) ने राजनीति का रिश्ता केवल सरकार और नागरिकों (Government and Citizens) तक ही सीमित रखा, जबकि मार्क्सवादियों ने उत्पादन के साधनों पर भी सरकार का ही स्वामित्व माना है। आज के नारीवादी लेखक तो पारिवारिक और घरेलू मामलों में भी राज्य के हस्तक्षेप की वकालत करते हैं। इस प्रकार राजनीति शास्त्र का विषय क्षेत्र अब बहुत व्यापक हो गया है। राजनीतिक सिद्धान्त शास्त्रियों को अब बहुत से विषयों के बारे में सिद्धान्तों का निर्माण करना पड़ता है। आजकल मुख्य रूप से निम्नलिखित विषयों को राजनीतिक सिद्धान्ता के कार्य–क्षेत्र में शामिल किया जाता हैः–

1. राज्य का अध्ययन (Study of the State):– प्राचीन काल से ही राज्य की उत्पत्ति, प्रकृति तथा कार्य–क्षेत्र के बारे में विचार होता रहा है। राज्य की उत्पति कैसे हुई? उसका विकास कैसे हुआ? तथा नगर–राज्य के सयम से लेकर अब तक के राष्ट्रीय राज्य के रूप में पहुचने तक इसके स्वरूप का विकास कैसे हुआ? अतः इसमें हम राज्य के ऐतिहासिक अध्ययन, वर्तमान के साथ–साथ इसके भावी स्वरूप का भी अध्ययन करते हैं। राजनीतिक सिद्धानत राज्य की घरेलू सीमाओं को लांघ कर अर्न्तराष्ट्रीय क्षेत्र में भी राज्य की भूमिका का अध्ययन करता है।

2. सरकार का अध्ययन (Study of the Government):– सरकार राज्य का एक महत्वपूर्ण तत्व है, जिसके ,ारा राज्य की इच्छा अभिव्यक्त होती है। जिस प्रकार हम राज्य के ऐतिहासिक स्वरूप का अध्ययन करते हैं उसी प्रकार सरकार के एतिहासिक स्वरूप का भी अध्ययन किया जाता है। अतः राजनीतिक सिद्धान्त में सरकार के तीन अंगों (Organs of Government) (1) विधानपालिका (Legislature), (2) कार्यपालिका (Executive) तथा (3) न्यायपालिका (Judiciary) सरकार के विभिन्न प्रकारों अथवा रूपों (Forms of Government) तथा उसके संगठन का भी अध्ययन किया जाता है।

3. 'शक्ति' का अध्ययन (Study of Power):– वर्तमान समय में 'शक्ति' की अवधारणा (Power Concept) का अध्ययन राजनीतिक सिद्धान्त का महत्वपूर्ण विषय बन गया है। शक्ति के कई रूपों जैसे सामाजिक शक्ति (Social Poweer), आर्थिक शक्ति (Economic Power), व्यक्तिगत शक्ति (Individual Power), जनमत की शक्ति (Power of Public Opinion), राष्ट्रीय शक्ति (National Power) और अर्न्तराष्ट्रीय शक्ति (International Power) आदि। राजनीतिक सिद्धान्त 'शक्ति' के इन विभिन्न रूपों के पारस्परिक सम्बन्धों को देखता है और ये जानना चाहता है कि मानव समाज में किस को क्या मिलता है? (Who gets what) कैसे

(How) मिलता है? और क्यों (Why) मिलता है? राजनीतिक सिद्धान्तकारों ने 'शक्ति' के महत्व को स्वीकार करते हुए कहा है कि 'राजनीतिक सिद्धान्त शक्ति की प्रक्रिया का सिद्धान्त है।' (Political Theory is the study of Political Process.)

4. मानवीय व्यवहार का अध्ययन (Study of Human Behaviour):– व्यवहारवादी लेखकों ने 'मानवीय व्यवहार' (Human Behaviour) को राजनीति शास्त्र का मुख्य विषय माना है। उन्होंने इस बात पर बल दिया है कि राजनीति के क्षेत्र में व्यक्ति जो कुछ करता है उसके पीछे जो प्रेरणाएं कार्य करती हैं, उनका अध्ययन राजनीतिक सिद्धान्त में होना चाहिए। इस प्रकार 'राजनीति' इन विद्वानों के अनुसार, 'मनुष्य व्यवहार' के अतिरिक्त कुछ नहीं है।' आधुनिक विद्वान मानते हैं कि मनुष्य भावनाओं का समूह होता है उसकी अपनी प्रवृतियां और इच्छाएं होती हैं जिसके अनुसार उसक राजनीतिक व्यवहार नियन्त्रित होता है। इसलिए आधुनिक विद्वान – जैसे हैरोल्ड लासवैल (Harold Lasswell), जी. आमण्ड (G. Almond), जेम्स कोलमैन (James Coleman) तथा डेविड ईस्टन (David Easton), 'व्यक्ति' या 'व्यक्ति समूहों' (Human Groups) के राजनीतिक व्यवहार को बहुत महत्व देते हैं। व्यवहारवादियों ने मानवीय व्यवहार के अध्ययन के अन्तर्गत राजनीतिक दलों (Political Paries) दबाव समूहों (Pressure Groups), जनमत (Public Opinion), मतदान आचरण (Voting Behaviour) तथा व्यवस्था विश्लेषण (Systems Analysis) आदि पर विशेष बल दिया है।

5. नीति–निर्माण प्रक्रिया (Process of Policy-Making):– आधुनिक विद्वानों के अनुसार नीति निर्माण प्रक्रिया (Process of Policy-Making) भी राजनीतिक सिद्धान्त के क्षेत्र का मुख्य विषय है। इस में उन सभी तत्वों को अध्ययन होना चाहिए जो शासकीय नीति निर्माण प्रक्रिया को निश्चित करने में योगदान देते हैं। राज्य की संस्थाए 'क्या नीति अपनाए'? (Which Policy they should Adopt)। उस नीति को 'किस प्रकार लागू किया जाए' (How these Policies are to be implimented)। इस दृष्टि से विधानपालिका तथा कार्यपालिका के शासन सम्बन्धी कार्यों मतदाताओं राजनीतिक दलों–उनके संगठन तथा एनको प्रभावित करने वाले तत्वों का अध्ययन किया जाता है।

6. राजनीतिक अध्ययन को वैज्ञानिक (Scientific) विषय बनाता है:– जिस विषय में कोई निश्चित सिद्धान्त नहीं होते हैं, वह विषय वैज्ञानिक प्रकृति का हो ही नहीं सकता। राजनीतिक क्षेत्र घटनाओं से भरा रहता है। इन घटनाओं के कारणों को जाना, उन घटनाओं का विश्लेषण करना तथा घटनाओं के संदर्भ में सिद्धान्त बनाना राजनीतिक सिद्धान्त का कार्य क्षेत्र है।

7. विकास, आधुनिकीकरण और पर्यावरण का अध्ययन (A styudy of Development, Modernization and Environment):– राजनीतिक सिद्धान्त में कुछ नवीन धारणाएं, जैसे – राजनीतिक विकास (Political Development), सामाजीकरण (Socialization), आधुनिकीकरण (Modernization) और पर्यावरण (Environment) भी अध्ययन का विषय है। विभिन्न विद्वानों ने विकासशील देशों की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक व पर्यावरणीय समस्याओं को समझने का प्रयास किया है। विकसित राजनीतिक व्यवस्थाएं विकासशील देशों के लिए मॉडल (Model) प्रमाणित हो रही हैं। इसके साथ पर्यावरण की समस्याएं भी राजनीतिक अध्ययनों में स्थान पा रही हैं। पर्यावरण सुधारों के अनेक उपाय बताये जाते हैं, जैसे जनसंख्या नियंत्रण (Control of Population), वन सर्वेक्षण आदि। औद्योगिक विकास (Industrial Development) के लिए साफ सुथरे वातावरण की आवश्यकता होती है।

8. राजनीतिक दल मताधिकार और चुनावी रणनीति का अध्ययन (Study of Political Parties, Franchies and Electoral Politics):– सिद्धान्त शास्त्रियों ने राजनीतिक दलों की संरचना (Structure), उनके कार्यों और उनके रूपों का भी अध्ययन किया जाता है। प्रायः राजनीतिक दलों के तीन मुख्य प्रकार जैसे – एक दलीय

पद्धति तथा बहुदलजीय पद्धति राजनीतिक सिद्धान्त के अध्ययन के विषय है। वे देश जिन में 'सरकारी विचारधारा' (Official Ideology) वाली सिर्फ एक ही पार्टी होती है वे सर्वाधिकारी शासन (Totalitarian Systems) का उदाहरा प्रस्तुत करते हैं। इस श्रेणी में कम्युनिस्ट (Communist) और फासिटवादी (Fascist) देश शामिल हैं। दूसरे, कुछ ऐसे देश जहां सैनिक पदाधिकारी या असैनिक वर्ग बल प्रयोग द्वारा सत्ता हथिया लेते हैं। वे भी सर्वाधिकारी शासन (Totalitarian Systems) बहु–दलीय पद्धति (Multi-arty System) के उदाहरण हैं। प्रायः प्रजातान्त्रिक देशों में द्वि–दलीय व्यवस्था पाई जाती है।

9. तथ्यों और करणों में सम्बन्ध निश्चित करना (To Detyermine the Relationship between causes and Affects):– राजनीतिक सिद्धान्त के क्षेत्र में यह तथ्य भी सम्मिलित है कि उसके द्वारा कारणों तथा तथ्यों (Causes and Effects) में सम्बन्ध निश्चित करने के लिए प्रयास किए जाते हैं। जब कभी कोई घटना घटती है तो उस घटना के कुछ कारण अवश्य होते हैं। अर्थात् उस घटना के प्रभावों (Effects) और कारणों (Causes) में प्रत्यक्ष सम्बन्ध होता है। राजनीति शास्त्री का उद्देश्य यह होता है कि वह पृथक–पृथक घटनाओं के कारणों और उनके प्रभावों में सम्बन्ध (Co-relation) निश्चित करने का प्रयास करे।

10. व्यक्ति तथा राज्य के परस्पर सम्बन्धों का अध्ययन (Study of Individual's Relations with the State):– प्राचीनकाल से लेकर आज तक व्यक्ति और राज्य का क्या सम्बन्ध है। इस विषय पर राजनीतिक सिद्धान्त के विद्वानों में मतभेद रहा है। अठारहवीं सदी में व्यक्ति की स्वतन्त्रता पर अधिक बल दिया गया तथा राज्य के अधिकारों को सीमित करने का समर्थन किया गया। वर्तमान लोकतन्त्रीय व्यवस्था ने मौलिक अधिकारों पर बहुत जोर दिया ताकि व्यक्ति का पूर्ण विकास हो सके। आज जबकि राज्य एक 'कल्याणकारी राज्य' (Welfare State) के सिद्धान्तों को अपना रहे हैं, जिससे राज्य नागरिकों के जीवन के सभी क्षेत्रों, राजनीतिक, सामाजिक आदि क्षेत्रों में भी हस्तक्षेप कर सकता है। ऐसी स्थिति में ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि नागरिकों के अधिकारों को किस हद तक सुरक्षित किया जाए? क्योंकि इसका भय है कि कहीं राज्य नागरिकों के अधिकरों का अतिक्रमण न करें। इसलिए व्यक्ति तथा राज्यों के आपसी सम्बन्ध राजनीति सिद्धान्त के अध्ययन के महत्वपूर्ण विषय हैं।

11. अर्न्तराष्ट्रीय सम्बन्धों का अध्ययन (Study of International Relations):– आधुनिक युग में एक राज्य दूसरे राज्य पर निर्भर है, जिस कारण राज्यों में आपसी सम्बन्ध होने स्वाभाविक हैं। यही कारण है कि आज हम राजनीतिक सिद्धान्त में अर्न्तराष्ट्रीय कानून (International Law) तथा अर्न्तराष्ट्रीय संगठन (International Organization) जैसे संयुक्त राष्ट्रसंघ (United Nation Organization) आदि संघों को भी अध्ययन करते हैं।

12. क्षेत्रीय संगठन तथा दक्षेस का अध्ययन (Study of SAARC – South Asian Association for Regional co-operation):– अनेक ऐसे तत्त्व हैं जो राज्यों की प्रभुसत्ता (Sovereignty) को सीमित करते हैं। जैसे – बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ (Multi-Nationals Companies), शक्ति गुट (Power Blocks) और विभिन्न क्षेत्रीय संगठन (Regional Organizations)। क्षेत्रीय संगठनों के अर्न्तगत यूरोपीय संसद (European Parliament), दक्षेस (SAARC – South Asian Asociation for Regional Cooperation) और आसियान आदि। राज्यों द्वारा जो नीतियां (Policies) बनाई जाती हैं और निर्णय लिये जाते हैं, उन पर इनका प्रभाव पड़ता है। यदि राजनीतिक विचारक इन प्रभावों को अनदेखा करें तो उनका अध्ययन अपूर्ण होगा।

13. नारीवाद का अध्ययन (Study of Feminism):– पश्चिम में 1960 के दशक से 'स्त्रियों की समस्याओं' का अध्ययन प्रारम्भ हो गया था। 1970 के दशक में नारी मुक्ति को लेकर गंभीर प्रयत्न किये गये। अनेक लेखकों ने माना कि स्त्रियों की सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक सभी क्षेत्रों में उनकी स्थिति में सुधार

कैसे सुनिश्चित किया जाए। भारत में सतीप्रथा, बालविवाह तथा देवदासी प्रथा के विरूद्ध लड़ाई लड़ी गई और राज्य द्वारा इनके विरूद्ध कानून पास करके इन्हें समाप्त किया गया। भारत में राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए स्त्रियों के लिए संसद तथा राज्य विधान मंडलों में एक तिहाई (⅓) स्थान सुरक्षित करने की व्यवस्था से सम्बन्धित बिल विचाराधीन हैं।

संक्षेप में राजनीतिक सिद्धान्त का क्षेत्र अत्याधिक विस्तृत है। वास्तव में राजनीतिक सिद्धान्त राजनीत विज्ञान की एक श्रृख्ला है तथा इसका क्षेत्र राजनीतिक सामग्री के संदर्भ में वैज्ञानिक–विश्लेषण करने, विश्वसनीय सिद्धान्त अथवा नियमों तथा सामान्यीकरण निश्चित करना होता है।

1.2.6 राजनीतिक सिद्धान्त का महत्त्व (Significance of Political Theory)

'सिद्धान्त' का अस्तित्व विषय को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करता है तथा सिद्धान्त के अस्तित्व के कारण ही किसी विषय को एक स्वतन्त्र अनुशासित (Independent Discipline) होने का गौरव प्राप्त हो सकता है। इस सत्यता में ही 'राजनीतिक सिद्धान्त' (Political Theory) की आवश्यकता और महत्ता (Significance) छिपी हुई है। राजनीतिक सिद्धान्त की महत्ता निम्नलिखित हैं:–

1. कारण और प्रभाव में परस्पर सम्बन्धों का अध्ययन (To Determine Relationship Between 'Sause' and 'Effect'):– कारण और प्रभाव में परस्पर सम्बन्ध होता है। कुछ कारणों या तथ्यों का अस्तित्व कुछ विशेष प्रकार के प्रभावों को जन्म देता है – जैसे राजनीतिक अज्ञानता का अस्तित्व प्रजातंत्र की सफलता के रास्ते में एक बड़ी बाधा सिद्ध होती है और ऐसे तथ्यों का अस्तित्व राजनीतिक भ्रष्टाचार को फैलाने का उत्तरदायी होता है। अर्थात् विभिन्न तथ्यों के साथ सम्बन्धित सामग्री एकत्रित करके उसके विभिन्न पक्षों का निरीक्षण किया जा सकता है तथा उन तथ्यों में परस्पर सैद्धान्तिक सम्बन्ध निश्चित किये जा सकते हैं। ये सभी कुछ सिद्धान्तों के अस्तित्व के बिना असम्भ है, क्योंकि सिद्धान्त तथा तथ्य एक दूसरे पर निर्भर हैं। एस.पी. वर्मा ने ठीक कहा है कि, "तथ्य और सिद्धान्त एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। सिद्धान्त के बिना तथ्य अनावश्यक विवरणों का व्यर्थ समूह है, जो सिद्धान्त तथ्यों पर आधारित नहीं हैं वह एक विशुद्ध कल्पना है।" (Fact and theory are there-fore dependent on each other. Facts without throry are useless heap of irrelevant details. Theory which is not rooted in facts is pure speculation)।

राजनीतिक सिद्धान्त विभिन्न तथयों के परस्पर सम्बन्धों को निश्चित करने तथा उनकी व्याख्या करने में सहायक सिद्ध होता है। राजनीतिक सिद्धान्त को एक सम्पूर्ण अनुशासन का स्वरूप प्रदान करता है।

2. ज्ञान का सरलीकरण (Simplification of Knowledge):– सिद्धान्त ज्ञान का सरलीकरण है। इससे किसी विषय को समझने में आसानी रहती है। सिद्धान्त प्रतिमान (Model) स्थापित करके बहुत से 'तथ्यों' (Facts) को एक प्रतीक (Symbol) में बदल देता है। जिस प्रकार अंकगणित (Algebra) में कई वस्तुओं का प्रतीकों के रूप में सरलीकरण कर लिया जाता है ताकि उन्हें समझने में आसानी हो। विभिन्न तथ्यों और घटनाओं को प्रतीक बनाकर परिभाषित करना सिद्धान्त की महत्ता है। राजनीति में शक्ति, औचित्य (Legitimacy), न्याय (Justice), अधिकार (Rights), कर्तव्य (Duties), वैधता, समानता आदि अनेक प्रतीक हैं।

3. नये शोध उपकरण खोजना (Search for New Research Techniques of Tools):– सिद्धान्त की सहायता से नये प्रयोग व अविष्कार के लिए नये शोध उपकरण (Research tools) खोजता है। वह सिद्धान्त उतना ही ज्यादा उपयोगी सिद्ध होगा जो नये सिद्धान्त खोजने की क्षमता रखता है।

4. अन्वेषकों के लिए लाभदायक (Useful for Researchers):– डेविड ईस्टन का विचार है कि राजनीतिक सिद्धान्त अन्वेषण (Research) के लिए विशेषकर लाभदायक है। डेविड ईस्टन ने यह विचार प्रकट किया है

कि "यदि सैद्धान्तिक रूपरेखा (Theoretical Framework) पहले विद्यमान होगी तो विभिन्न प्रकार के तथ्यों को क्रमबद्ध करना और सामान्यीकरण (Generalization) निश्चित करने का कार्य सरलता पूर्वक किया जा सकता है तथा सैद्धान्तिक रूपरेखा का अस्तित्व विभिन्न अन्वेषकों के अन्वेषण का तुलनात्मक अध्ययन भी सम्भव बनाती है। ऐसे तुलनात्मक अध्ययन द्वारा विभिन्न अन्वेषकों (Researchers) के द्वारा निश्चित किये गये परिणामों या सामन्यकरणों (Generalization) की पुष्टि की जा सकती है।

5. स्पष्टता प्राप्त करना (To Acquire Conceptual Clarity):– राजनीतिक सिद्धान्तों के अध्ययन से ही हमें राजनीतिक अवधारणाओं का स्पष्ट ज्ञान प्राप्त होता है। राजनीतिक सिद्धान्तों के अध्ययन से ही हमें स्वतन्त्रता, समानता, न्या, प्रभुसत्ता तथा लोकतन्त्र आदि अवधारणाओं की उत्पत्ति, विकास आदि को समझने में सहायता मिलती है। कोई देश वास्तव में लोकतान्त्रिक है या नहीं ये तभी जाना जा सकता है जब हम लोकतन्त्र, स्वतन्त्रता, समानता तथा न्याय के सिद्धान्तों का विश्लेषण करें। राजनीतिक सिद्धान्तों के अध्ययन से ही स्पष्टता प्राप्त की जा सकती है।

6. शासन प्रणालियों को औचित्य (वैधता) प्रदान करते हैं (Profice Legitimacy to the Government):– सभी शासन प्रणालियां (Government) किसी न किसी सिद्धान्त पर आधारित होती हैं। इसके लए ये आवश्यक है कि आम जनता को पता हो कि किस व्यक्ति या दल को देश का शासन चलाने का कानूनी अधिकार प्राप्त है। अर्थात शासन प्रणाली वैध (Legitimaty) होनी चाहिए। जब किसी देश में शासन प्रणाली बदलती है अथवा सत्ता परिवर्तन होता है तब उसकी वैधता को सिद्ध करने के लिए किसी न किसी राजनैतिक विचारधारा अथवा सिद्धान्त का सहारा लिया जाता है। उदाहरण के लिए – प्रथम विश्वयुद्ध के बाद जर्मनी में हिटलर तथा इटली में मुसोलिनी ने अपनी तानाशाही स्थापित करने के लिए फासीवाद (Fascism) तथा नाजीवाद (Nazism) का सहारा लिया।

7. सामाजिक परिवर्तन को समझने में सहायक (Helpful in Understanding the Social Changes):– मानव समाज एक गतिशील संस्था है, जिसमें दि प्रतिदिन परिवर्तन होते रहते हैं। ये परिवर्तन समाज के आर्थिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक जीवन पर प्रभाव डालते हैं। ऐसे परिवर्तन के विभिन्न पक्षों तथा उनके द्वरा उत्पन्न हुए प्रीाावों को समझने के लिए राजनीतिक सिद्धान्त (Political Throry) सहायक सिद्ध होता है। इसतिहास इस बात का साक्षी है कि जिन देशों में स्थपित सामाजिक व्यवस्थाओं के विरूद्ध विद्रो अथवा क्रान्तियां हुई उसका मुख्य कारण यह था कि स्थापित सामाजिक व्यवस्थाएं (Established Social Order) नई उत्पन्न परिस्थितियों के अनुकूल नहीं थी। उदाहरण के लिए – फ्रांस की सन् 1789 की क्रान्ति। कार्ल मार्क्स ने राजनीतिक सिद्धान्त को एक विचारधारा का ही रूप माना है और उसका विचार था कि जब नई सामाजिक व्यवस्था (वर्ग–विहीन तथा राज्य विहीन समाज) (Class less and Stateless Society) की स्थापना हो जाएगी तो फिर सिद्धान्तीकरण की आवश्यकता नहीं रहेगी। मार्क्स ने एक विशेष विचारधारा और कार्यक्रम के आधार पर ही वर्गविहीन और राज्यविहीन समाज की स्थापना की थी। उसका यह विचार ठीक नहीं है कि ऐसा समाज स्थापित हो जाने के पश्चात सिद्धान्तीकरण की आवश्यकता नहीं रहेगी। वास्तव में सभ्यता के निरंतर हो रहे विकास के कारण जैसे–जैसे मानव समाज का अधिक विकास होगा, वैसे–वैसे सामाजिक परिवर्तन को समझने तथा उसकी व्याख्या करने के लिए राजनीतिक सिद्धान्त की आवश्यकता अधिक महसूस होगी।

8. समस्याओं के समाधान में सहायक (Helpful in Sovling Problems):– राजनीतिक सिद्धान्त देश तथा समाज की समस्याओं को हल करने में महत्त्वपूर्ण योगदान देते हैं। देश की राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक समस्याओं को हल करने के लिए नये सिद्धान्तों के माध्यम किया जाना है। प्रत्येक काल (Era) तथा परिस्थिति में उस समय की समस्याओं को हल करने के लिए नये सिद्धान्तों (New Theories) की

निष्कर्ष (Conclusion)

हम कह सकते हैं कि दूसरों के व्यवहार को प्रभावित करने की क्षमता का नाम शक्ति है। शक्ति का अस्तित्व मानवीय सम्बन्धों में ही हो सकता है। शक्ति की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि शकित का प्रयोग करने वाले के पास यह क्षमता होनी चाहिए कि उसकी इच्छाओं के अनुसार कार्य न करने वाले व्यक्ति को दण्ड दे सके। शक्ति मनुष्य के परस्पर सम्बन्धों का विशिष्ट रूप है। यह स्थितिपरक (Situational) है तथा सापेक्ष (Relative) होती है। इसके दो स्वरूप – वास्तविक (Actual) तथा सम्भावित (Potential) है। शक्ति परिवर्तनशील है इसकी पहचान में अर्थात वास्तव में शक्तिशाली कौन है? इसमें कठिनाई आती है। शक्ति का वास्तविक अर्थों में अस्तित्व तभी हो सकता है जब शक्ति का प्रयोग करने वाले और उसके अधीन व्यक्तियों में परस्पर विरोध (Conflict) हो।

1.3.5 शक्ति के स्त्रोत (Sources of Power)

शक्ति के स्त्रोतों के बारे में भी राजनीति शास्त्र के विद्वान एकमत नहीं हैं। क्योंकि शक्ति अनेक स्त्रोतों से उत्पन्न होकर अपने आप को विभिन्न रूपों में प्रकट करती है। नेपोलियन (Nepoleon), हिटलर (Hitler), लेनिन (Lenin), स्आलिन (Stalin), चर्चिल (Churchil), रूजवेल्ट (Roosevelt), मुसोलिनी (Mussolini), माओ–तसतुंग (Mao-Tse-Tung) तथा महात्मा गाँधी (Mahatma Gandhi) आदि सभी शक्तिशाली थे, लेकिन उनकी शक्तियों में बहुत अंतर था। शक्ति के स्त्रोतों के बारे में प्रसिद्ध विद्वानों के विचार इस प्रकार हैः–

फ्रेडरिक (Fredrick) के अनुसार शक्ति के निम्नलिखित तीन मुख्य स्त्रोत हैंः–

1. उत्पीड़न (Coercion)
2. सहयोग (Co-operation)
3. प्रशस्त्रीकरण (Persuation)

एक अन्य विद्वान ब्रैचर (Brecher) ने शक्ति के चार स्त्रोत बताये हैं।

1. पशुबल या इसके प्रयोग की धमकी (Brute force or threat of its use)
2. कानूनी या गैर–कानूनी (Legal or Illegal)
3. प्रतिष्ठा अथवा अधिकार (Prestige or Authority)
4. आर्थिक साधन (Economic resources)

कुछ राजनीतिक विद्वानों ने शक्ति के दो प्रमुख स्त्रोतों का वर्णन किया है।

1. आन्तिरिक स्त्रोत (Internal Sources)
2. बाहरी स्त्रोत (External Sources)

शक्ति के स्त्रोतों की पूर्ण सूची देना सम्भव नहीं है। फिर भी शक्ति के कुछ मुख्य स्त्रोतों का संक्षिप्त वर्णन निम्नलिखित रूप में किया जा सकता हैः–

1. ज्ञान (Knowledge) – शक्ति का प्रमुख स्त्रोत ज्ञान है। ज्ञान के द्वारा ही व्यक्ति अपनी अन्य योग्यताओं एवं क्षमताओं (Capabilities) का इस प्रकार संचालित करता है कि वे शक्ति का साधन बन सकें। ज्ञान के द्वारा ही लोगें में नेतृत्व (Leadership), सहनशीलता (Tolerance) आदि गुणों का विकास होता है। क्योंकि ज्ञान ही व्यक्ति को सोचने समझने और दुखों से स्वयं को बचाने की शिक्षा देता है। ज्ञान व्यक्ति के कष्टों को दूर

करके उसे उन साधनों को पाने की क्षमता देता है जिससे वह अपना जीवन सुरक्षित और स्वतंत्र रख सके तथा स्वयं को दुखों व कष्टों से बचा सके।

2. संगठन (Organization) – संगठन शक्ति का एक महत्वपूर्ण स्त्रोत है। कहावत भी है कि,'संगठन में शक्ति है' (Unity is strength)। जब लोग मिलकर किसी संगठन का निर्माण करते हैं और मिलजुलकर तथा अनुशासन में रहकर कार्य करते हैं तो उनकी शक्ति कई गुणा बढ़ जाती है। जब अलग–अलग इकाईयां आपस में मिलकर एक संघ बना लेती है तब उनकी शक्ति बहुत बढ़ जाती है, जैसे राजनीतिक दल, श्रमिक संघ, व्यापारिक संघ तथा धार्मिक संघ काफी शक्तिशाली होते हैं। राज्य शक्ति की दृष्टि से सबसे बड़ा संघ है और इस कारण राज्य का सबसे अधिक संगठित रूप है तथा सब संघों में सबसे अधिक शक्तिशाली है।

3. धन सम्पत्ति (Wealth and Property) – धन व सम्पत्ति शक्ति के महत्वपूर्ण स्त्रोत हैं। अधिक धन व स्त्रोतों वाला व्यक्ति अधिक शक्तिशाली हो सकता है। धनी व्यक्ति ही शक्ति को अधिक आसानी से प्राप्त कर सकता है, क्योंकि वह ही चुनाव लड़ सकता है और पैसे के बल पर जीत सकता है। धनी व्यक्ति चुनाव में राजनीतिक दलों को चंदा देता है जिससे उनका नेताओं तथा नौकरशाही पर प्रभाव पड़ता है तथा उनकी शक्ति में बढ़ौतरी होती है। जिस राष्ट्र के पास आर्थिक साधन बहुत होते हैं वे विश्व के अन्य देशों को आर्थिक यहायता देकर बहुत अधिक प्रभावित करता है। अमेरिका विश्व में आर्थिक साधनों के कारण अधिक प्रभावशाली बन गया है, क्योंकि दूसरे देशों की तुलना में उससे आर्थिक स्त्रोत अधिक हैं। अरब राज्यों ने अपनी प्राकृतिक सम्पदा 'तेल' के आधार पर अपनी महत्वपूर्ण स्थिति बनाई है।

4. सत्ता (Authority) – लोकतंत्र में सत्ता शक्ति का महत्वपूर्ण स्त्रोत है। एक व्यक्ति जब कोई राजनीतिक अथवा कानूनी पद को विधिवत प्राप्त कर लेता है तो वह सत्ताधारी अर्थात् उस पद की शक्ति का प्रयोग करने वाला कहलाता हैं सत्ता व्यक्ति को वैधतापूर्ण शक्ति का प्रयोग करने की क्षमता प्रदान करती है। जब कोई व्यक्ति चुनाव तीत कर संसद का सदस्य, मन्त्री, मुख्यमन्त्री, केन्द्रीय मन्त्री अथवा प्रधानमंत्री बन जाता है तब वह बहुत शक्तिशाली हो जाता है, और उसकी शक्ति बहुत बढ़ जाती है।

5. आकार (Size) – मैकाईवर के अनुसार, "शक्ति की कार्य–कुशलता उन अलग–अलग हालत द्वारा घटती–बढ़ती रही है, जिनके अधीर उसे काम करना है।" अर्थात् एक व्यक्ति की शक्ति का आधार संगठन का आकार होता है। यथाशक्ति माना जाता है कि संगठन का आकार जितना बड़ा होगा, उस संगठन में कार्यरत व्यक्ति भी उतना ही अधिक शक्तिशाली होगा। लेकिन कई बार संगठन का आकार उस व्यक्ति की शक्ति को कम या नष्ट भी कर सकता है। उदाहणार्थ – मुगल सम्राट अकबर के राज्य का आकार औरंगजेब से छोटा होते हुए भी अधिक शक्तिशाली था। इसके विपरीत औरंगजेब के राज्य का आकार अकबर से बड़ा होने के बावजूद औरंगजेब अकबर की तुलना में काफी कम शक्तिशाली था। यही कारण था कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य बिखर गया।

6. सैनिक शक्ति (Military Factor) – सैनिक शक्ति किसी राष्ट्र की शक्ति का महत्वपूर्ण स्त्रोत है। जिस राष्ट्र के पास अधिक सैन्य शक्ति है वह विश्व में अधिक शक्तिशाली माना जाता है। इसके विपरीत सैन्य दृष्टिकोण से दुर्बल देश की राष्ट्रीय शक्ति भी कम होती है। उदाहणार्थ – अमेरिका, रूस, चीन आदि राष्ट्रों की सैन्य शक्ति अधिक होने के कारण उन्हें शक्तिशाली माना जा सकता है।

7. वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रगति (Scientific and Technological Advancement) – आधुनिक युग वैज्ञानिक युग है। वैज्ञानिक और तकनीकि प्रगति भी शक्ति का एक प्रमुख स्त्रोत है। तकनीकी विकास ने मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन किये हैं। कोई भी देश तकनीकी विकास के बिना अपनी अर्थव्यवस्था को

शक्तिशाली और प्रभावशाली नहीं बना सकता। जो देश तकनीकी विकास में आगे होगा वह अधिक शक्तिशाली होगा। अमेरिका, रूस, चीन आदि देशों के शक्तिशाली होने का एक कारण यह भी है।

8. करिश्माई नेतृत्व (Charismatic Leadership) – नेताओं की निःस्वार्थ देशभक्ति (Patriotism), जन कल्याण की भावना, दूरदर्शिता, निर्णय लेने की क्षमता आदि राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ाने के महत्वपूर्ण स्त्रोत हैं। कुछ नेताओं का करिश्माई नेतृत्व लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभता है। स्आलिन, चर्चिल, लेनिन, रूजवेल्ट, माओ–तसे–तुंग, जवाहरलाल नेहरू तथा इंदिरा गाँधी आदि करिशमाई नेता अत्यंत शक्तिशाली माने जाते थे।

9. विश्वास (Faith) – शक्ति का एक स्त्रोत विश्वास है जिस व्यक्ति या नेता में लोगों को विश्वास होता है। उस नेता की शक्ति बहुत बढ़ जाती है। कोई भी व्यक्ति तब तक शक्तिशाली रह सकता है जब तक लोगों का उसके प्रति विश्वास बना रहे। कोई भी शक्तिशाली व्यक्ति भी जनता का विश्वास खाने के बाद सत्ता में नहीं रह सकता। भारत की भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गाँधी 1977 से पहले बहुत शक्तिशाली थीं, लेकिन 1977 में वे लोकसभा का चुनाव हार गई, क्योंकि वे जनता का विश्वास खो चुकी थीं। तीन वर्ष के बाद 1980 में इंदिरा गाँधी ने जनता का विश्वास पुनः प्राप्त किया और फिर से सत्ता में आ गईं।

10. जन संचार के साधन (Means of Communication) – जन संचार के साधन भी शक्ति का एक स्त्रोत हैं। जन संचार के साधनों का लोकतंत्र में विशेष महत्व है। समाचार–पत्र, रेडियो, टेलिविजन आदि जनमत (Public Opinion) बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राजनीतिक दल उम्मीद्वारों को चुनाव जितवाने के लिए जन संचार के साधनों का जोर–शोर से जनमत बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। जिन राजनीतिक दलों का यदि समाचार–पत्रों तथा अन्य साधनों पर अधिक नियंत्रण होता है तो वह दल अधिक शक्तिशाली होते हैं।

11. राजनीतिक योग्यता (Political Ability) – राजनीतिक योग्यता शक्ति का एक स्त्रोत है। राजनीतिक निपुणता के कारण अमुक राष्ट्रपति अथवा प्रधानमंत्री अन्य राष्ट्रपतियों या प्रधानमन्त्रियों की तुलना में अधिक शक्तिशाली हो जाता है, क्योंकि विभिन्न व्यक्तियों के अपने साधनों के प्रयोग करने की अलग–अलग क्षमता होती है। जो व्यक्ति अपनी निपुणता का प्रयोग अधिक कुशलता से करेगा वह अवश्य ही दूसरे व्यक्ति की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होगा।

1.3.6 शक्ति के प्रकार/स्वरूप (Kinds of Power)

शक्ति के अनेक रूप होते हैं। अनेक विद्वानों ने शक्ति के वर्गीकरण का प्रयत्न किया है, लेकिन वे एकमत नहीं हैं। फिर भी इस विषय में कुछ प्रमुख विद्वानों के विचार इस प्रकार हैंः–

1. राबर्ट डहल के अनुसार शक्ति के दो प्रकार होते हैं –

   i. औचित्यपूर्ण (Legitimate) – शासक वर्ग सदैव अपने व्यवहार का औचित्यपूर्ण सिद्ध करने का प्रयास करता है, जब जनता शासर्क वर्ग के व्यवहार को औचित्यपूर्ण मान लेती है, तब उसे औचित्यपूर्ण शक्ति (Legitimate Power) कहा जाता है। जो शक्ति औचित्यपूर्ण हो उसे सत्ता कहा जाता है। मैक्स वेबर (Max Weber) के अनुसार, "औचित्यपूर्ण शक्ति के तीन स्वरूप हैं। प्रथम किसी व्यक्ति को संविधान या उसके अधीन निर्मित कानूनों के द्वारा अधिकार प्राप्त होते हैं, तो उसके ऐसे अधिकारों को सामूहिक रूप में संवैधानिक शक्ति (Constitutional Power) कहा जाता है। दूसरे जब शक्तिवान द्वारा प्रसारित आदेशों को परम्परा के आधार पर पवित्र माना जाये, शक्ति परम्परा, रीति–रिवाजों, प्रथाओं अथवा प्रचलनों के कारण ही वह शक्ति का प्रोग करें तो उसे औचित्यपूर्ण शक्ति का परम्परागत रूप (Traditional Power) कहा जायेगा। जैसे इंग्लैण्ड का सम्राट अपनी शक्तियों का प्रयोग रीति रिवाजों व परम्पराओं के आधार पर करता

है। तीसरे जब औचित्य की मान्यता का आधार शक्तिवान के व्यक्तिगत गुणों के प्रति श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के कारण होती है, तो वह करिश्मावादी औचित्यपूर्ण शक्ति कही जाती है। श्रीमति इन्दिरा गाँधी व महात्मा गाँधी की शक्ति को करिश्माई शक्ति माना जाता था।

ii. अनौचित्यपूर्ण शक्ति (Illegitimate Power) – जब कोई शक्तिवान गैर–कानूनी त था गैर–संवैधानिक ढंग से शक्ति का प्रयोग करता है तो वह अनौचित्यपूर्ण शक्ति कहलाती है। इसका प्रयोग एडवर्ड शिल्ड (Edward Shills) के अनुसार बल, छल–कपट व प्रभुत्व के आधार पर होता है।

2. गोल्ड हेमर (Gold Hemer) व एडवर्ड शिल्ड (Edward Shills) के अनुसार दूसरे के व्यवहार को परिवतित करने की क्षमता को 'शक्ति' माना जाता है। दूसरे के व्यवहार के परिवर्तन के अनुसार शक्ति के तीन प्रकार होते हैंः–

i. बल (Force) – शक्तिवान व्यक्ति जब दूसरे के व्यवहार को अपनी इच्छानुसार बल के प्रयोग द्वारा परिवर्तित करता है तो शक्ति का रूप बल प्रयोग (use of force) होता है।

ii. प्रभुत्व (Influence) – जब शक्तिवान व्यक्ति अपनी इच्छा को प्रकट कर दूसरों के व्यवहार को प्रभावित करता है तो वह प्रभुत्व कहलायेगा। 'प्रभुत्व' (Influence), आदेश (Order) या आग्रह (Persuation) के रूप में हो सकता है।

iii. छल–कपट (Manipulation) – अपनी इच्छा को छिपाकर जब कोई शक्तिवान अप्रत्यक्ष ढंग से दूसरों को अपनी इच्छानुसार छल–कपट अथवा चातुर्य (manipulation) के द्वारा तैयार करने का प्रयत्न करता है तो शक्ति का रूप छल–कपट अथवा चातुर्य का होता है।

3. बायर्सटेड नामक विद्वान ने शक्ति के चार आधार बताये हैंः–

i. दृश्यता के आधार पर (On the basis of visibility) – जब शक्ति का रूप प्रकट दिखाई देता है तब बायर्सटेड उसे शक्ति का 'प्रकट रूप' कहता है। शक्ति का यह प्रकटीकरण सत्ता, बल आदि कहा जायेगा। दूसरी ओर जब शक्ति का रूप प्रकट दिखाई नहीं देता तो वह उसे 'छिपी हुई शक्ति' (Latent Power) कहता है।

ii. दमन के आधार पर (On the basis of Coercion or Repressive Power) – जब शक्ति का प्रयोग अत्याचारपूर्ण ढंक से किया जाता है तो उसका रूप दमनात्मक (Coercive or repressive) होता है। दूसरी ओर जब शक्ति का औचित्य प्रयोग दूसरे को अपनी ओर करने के लिए करता है तो शक्ति का रूप अदमनात्मक अथवा गैर दमनकारी (Non-repressve of pursuasive power) कहलाता है।

iii. औपचारिकता के आधार (On the basis of formal use) – औपचारिकता के आधार पर शक्ति औपचारिक तथा अनौपचारिक हो सकती है। औचित्यपूर्ण शक्ति का प्रयोग संविधान, कानून, नियम, जन–सहमति के आधार पर प्रयोग की जाती है। दूसरी ओर अनौचित्यपूर्ण शक्ति गैर–कानूनी तथा गैर–संवैधानिक होती है।

iv. प्रयोग के आधार पर (On the basis of its use) – शक्ति के प्रयोग के आधार पर शक्ति दो प्रकार की हो सकती है – प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष। जब शक्ति का प्रयोग शक्तिवान के द्वारा स्वयं किया जाता है तब उसे प्रत्यक्ष शक्ति कहा जाता है, जब शक्ति का प्रयोग शक्तिवान न करके किसी अन्य अथवा किसी अधीनस्थ से करवाये उसे अप्रत्यक्ष शक्ति कहते हैं।

4. शक्ति–प्रवाह अथवा दिशा की दृष्टि के आधार पर (On the basis of flow of power)

बायर्सटेड (Biersted) ने शक्ति प्रवाह अथवा दिशा की दृष्टि से शक्ति के तीन रूप बताए हैंः–

i. एक–पक्षीय शक्ति (Unilateral Power) – जब उच्च अधिकारी निम्न अधिकारी को आदेश देता है तो उसकी शक्ति एक–पक्षीय होती है। सेना में अधिकारियों का अपने अधीनस्थ अधिकारियों के साथ संबंध एक–पक्षीय होता है।

ii. द्विपक्षीय शक्ति (Bi-lateral Power) – जब शक्ति का प्रयोग दो व्यक्तियों, दो राष्ट्रों तथा दो समूहों के बीच होता है तथा दोनों पक्ष एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तथा सौदेबाजी भी होती है तो उसे द्विपक्षीय शक्ति कहते हैं।

iii. बहु–पक्षीय शक्ति (Multi-lateral Power) – जब शक्ति का प्रयोक अनेक पक्षों के मध्य किया जाए, उसे बहु–पक्षीय शक्ति कहते हैं। बहुपक्षीय शक्तियों में सौदेबाजी (Bargaining) होती है तथा समझौते (Contract) भी होते हैं।

5. केन्द्रीयकरण के आधार पर (On the Basis of Centralisation)

शक्ति के अधिवास (Location) के अनुसार शक्ति के तीन रूप होते हैंः–

i. केन्द्रित शक्ति (Centralizaed Power) – जब समस्त शक्तियां केन्द्र के पास हों तब उसे केन्द्रित शक्ति कहते हैं। एकात्मक शासन व्यवस्था केन्द्रित शक्ति का उदाहरण है।

ii. विकेन्द्रित शक्ति (Decentralized Power) – जब शक्तियां केन्द्र तथा इकाइयों, संस्थाओं व निकायों में विभाजित हों तो विकेन्द्रीत शक्ति होती है। संघात्मक (Federation) व्यवस्था विकेन्द्रित शक्ति के कतिपय उदाहरण हैं।

iii. व्याप्त शक्ति (Diffused Power) – अस्पष्ट रूप से बिखरी हुई शक्ति को व्याप्त अथवा विस्तृत शक्ति कहा जाता है। जैसे – जन–शक्ति।

6. क्षेत्रीयता के आधार पर (On the basis of Regionalization)

इस आधार पर शक्ति के दो प्रकार हैंः–

i. राष्ट्रीय शक्ति (International Power) – प्रत्येक राज्य अपने हितों की पूर्ति के लिए जिस शक्ति का प्रयोग करता है, उसे राष्ट्रीय शक्ति कहते हैं। आज संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्रीय शक्ति के आधार पर एक महान शक्ति (Super Power) है।

ii. अर्न्तराष्ट्रीय शक्ति (International Power) – विश्व से सम्बन्धित शक्ति को अन्तर्राष्ट्रीय शक्ति कहा जाता है।

7. मात्रा और प्रभाव के आधार पर (On the basis of Quantity and Influence)

इस आधार पर शक्ति के तीन रूप हैंः–

i. महान शक्तियाँ (Super Power) –आज संयुक्त राज्य अमेरिका (United States of America) राष्ट्रीय शक्ति के आधार पर एक महान शक्ति है।

ii. मध्यम श्रेणी की शक्तियाँ (Middle Ranking Power) – राष्ट्रीय शक्ति के आधार पर कुछ राष्ट्र मध्य श्रेणी की शक्तियों में आते हैं।

iii. निम्न श्रेणी की शक्तियाँ (Low Ranking Power) – राष्ट्रीय शक्ति के आधार पर कुछ राष्ट्र निम्न श्रेणी की शक्तियों में आते हैं।

8. राजनीतिक शक्ति (Political Power) – शक्ति का एक अन्य वर्गीकरण राजनीतिक शक्ति के रूप में किया जाता है। राजनीतिक शक्ति का क्षेत्र व्यापक होता है जिसमें आर्थिक तथा सैनिक शक्तियां भी शामिल हैं। एक ओर राजनीतिक शक्ति जहां आर्थिक व सैनिक शक्ति के रूप में निर्धारित करती है वहां आर्थिक व सैनिक शक्ति भी बहुत सीमा तक राजनीतिक शक्ति के रूप को निर्धारित करती है तथा अर्थव्यवस्था व सैनिक व्यवस्था पर नियंत्रण करती है।

9. सैनिक शक्ति (Military Power) – राजनीतिक शक्ति (Political Power) की सुदृढ़ता के लिए सैनिक शक्ति की सुदृढ़ता भी आवश्यक होती है। ये भी आवश्यक है कि राजनीतिक शक्ति, सैनिक शक्ति को अपने नियंत्रण में रखे। कई देशों में यदि उनकी राजनीतिक शक्ति में कमी आती है तब सैनिक शक्ति उनके नियंत्रण से बाहर होकर सैनिक शासन की स्थापना कर लेती है। अनेकों छोटे राष्ट्र ऐसे हैं जहाँ आजकल चुनी हुई सरकारों का तख्ता पलटकर सेना ने अपना शासन स्थापित कर लिया है। म्यमांर इसका ताजा उदाहरण है।

10. आर्थिक शक्ति (Economic Power) – किसी भी राष्ट्र की वास्तविक शकित उसकी आर्थिक शकित पर निर्भर है। किसी देश की आर्थिक स्थिति छिन्न–भिन्न हो जाने से उस देश की राजनीतिक शक्ति भी प्रायः डांवाडोल होने लगती है, सलिए देश की आर्थिक शक्ति को व्यवस्थित रखना आवश्क होता है। ऐसा राष्ट्र जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है उसे सदैव दूसरे राष्ट्रों पर आर्थिक सहायता के लिए निर्भर रहना पड़ता है। जिससे आर्थिक रूप से शक्तिशाली राष्ट्र होने के कारण अन्य राज्यों की आर्थिक व राजनीतिक गतिविधियों को लगातार प्रभावित करता है।

11. राष्ट्रीय शक्ति (National Power) – मारगैन्थो (Morgenthau) के अनुसार, "प्रत्येक राज अपने हितों की पूर्ति के लिए जिस शक्ति का प्रयोग करता है उसे राष्ट्रीय शक्ति कहते हैं।" एक अन्य विक्षन महेन्द्र कुमार (Mahendra Kumar) के अनुसार, "राष्ट्रीय शक्ति किसी राष्ट्र की वह योग्यता है जिसके द्वारा वह अन्य राज्यों के व्यवहारों को अपनी इच्छा के अनुसार संयत करता है।" (National Power can also be defined as the capacity to control the behaviour of other states in accordance with one's will.) राष्ट्रीय शक्ति के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक तथा मनोवैज्ञानिक आदि अनेक तत्व हैं।

12. मनोवैज्ञानिक शक्ति (Psychological Power) – मनोवैज्ञानिक शक्ति से तात्पर्य है कि राज्य में शासक तथा शासितों में एक दूसरे के प्रति मनोवैज्ञानिक विश्वास होना चाहिए। देश की जनता को शासक वर्ग में विश्वास तथा शासक वर्ग को जनता के प्रति उत्तरदायित्व दोनों को मनोवैज्ञानिक शक्ति प्रदान करता है। यदि राष्ट्र में मनोवैज्ञानिक एकता होगी तो राष्ट्र संगठित होगा इसका आर्थिक विकास होगा तथा इसकी सैनिक शक्ति में भी वृद्धि होगी।

1.3.7 राष्ट्रीय शक्ति का अर्थ (Meaning of National Power)

प्रसिद्ध विद्वान महेन्द्र कुमार के अनुसार, "राष्ट्रीय शक्ति किसी राष्ट्र की वह योग्यता है जिसके द्वारा वह अन्य राज्यों के व्यवहारों को अपनी इच्छा के अनुसार संयत करता है।" (National Power can also be difined as the capacity to control the behaviour of other States in accordance with one's will.)। इसी प्रकार एक अन्य विद्वान मारगैन्थो (Morgenthau) के अनुसार, "प्रत्येक राज्य अपने हितों की पूर्ति के लिए जिस शक्ति का प्रयोग करता है, उसे 'राष्ट्रीय शक्ति' कहते हैं।" राष्ट्रीय शक्ति एक सामूहिक शक्ति है जिसके मुख्यतः तीन रूप होते हैंः–

i. सैनिक शक्ति (Military Power)

ii. आर्थिक शक्ति (Economic Power)

iii. मनोवैज्ञानिक शक्ति (Psychological Power)

सैनिक शक्ति का सम्बन्ध राज्य की उस क्षमता से है, जिसके द्वारा वह देश की बाहरी आक्रमण से रक्षा करता है तथा देश में शान्ति एवं व्यवस्था बनाए रखता है। आर्थिक शक्ति का सम्बन्ध राष्ट्र के आर्थिक साधनों, ओद्यौगिक तथा तकनीकी विकास तथा राष्ट्र के मानव धन से होता है। मनोवैज्ञानिक शक्ति से अभिप्राय है – राष्ट्र के नेताओं की नीतियों निर्णयों तथा व्यक्तिगत योग्यताओं के द्वारा राष्ट्रीय हितों के लक्ष्य की प्राप्ति। यदि लोगों को अपने शासकों पर विश्वास नहीं है तो इसका स्पष्ट अभिप्राय होगा कि उस राज्य में मनोवैज्ञानिक एकता का अभाव है। प्रत्येक राष्ट्र के लिए इन तीनों प्रकार की शक्तियों का होना अनिवार्य है और ये शक्तियां एक–दूसरे पर निर्भर हैं। यह आवश्यक है किन्तु राष्ट्र की आर्थिक व सैनिक शक्ति मजबूत रहे। शासक और शासित में परस्पर विश्वास बना रहे अर्थात् मनोवैज्ञानिक शक्ति का भावार्थ ये है कि तीनों में परस्पर घनिष्ठता है और इनमें संतुलन बना रहना चाहिए।

1.3.8 राष्ट्रीय शक्ति के निर्धारक तत्व (Determinations of National Power)

राष्ट्रीय शक्ति से अभिप्राय किसी राष्ट्र की सैनिक शक्ति, आर्थिक शक्ति, तथा मनोवैज्ञानिक शक्ति आदि के सामूहिक रूप से है। विश्व के सभी राष्ट्रों की राष्ट्रीय शक्ति का स्तर एक जैसा नहीं होता है। जिन राष्ट्रों में राष्ट्रीय शक्ति के निर्धारक तत्व अधिक मात्रा में उपलब्ध हैं उन राष्ट्रों की राष्ट्रीय शक्ति अधिक विकसित है दूसरी ओर जिन देशों में निर्धारक तत्वों की कमी है वहां राष्ट्रीय शक्ति का विकास बहुत कम हुआ है। अतः राष्ट्रीय शक्ति के निर्माण में कुछ महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व हैं:–

1. भौगोलिक स्थिति (Geographical Position) – राष्ट्रीय शक्ति का निर्माण करने में देश की भौगोलिक स्थिति का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है। भौगोलिक स्थिति से तात्पर्य देश के भौतिक वातावरण, नदियों, पर्वतों, झीलों, झरनों, मिट्टी, धातुओं और वन आदि जैसे प्राकृतिक साधनों से है। इसके अतिरिक्त जलवायु और वर्षा, भूमध्य रेखा से देश की दूरी, समुद्री तट से ऊंचाई, सागर या महासागर से उसके फासले आदि से भी भौगोलिक स्थिति सम्बद्ध है। इन देशों की अर्थव्यवस्था, देश की सुरक्षा, सम्पूर्ण सामाजिक ढांचों और नागरिकों के जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसे जर्मनी, यूरोप के कई देशों के मध्य घिरा होने के कारण (अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण), सैनिक शक्ति का विकास आवश्यक समझता है। इसी प्रकार हिमालय पर्वत भारत का रक्षक प्राचीन समय से माना जाता है। हिमालय पर्वत भारत की भूमि पर आक्रमणकारियों के लिए एक बड़ी बाधा और चुनौती है। भारतीय भौगोलिक स्थिति भी चीन की सैनिक कार्यवाहियों का सामना करने में सहायक सिद्ध हुई है।

भौगोलिक स्थिति देश की अर्थव्यवस्था को भी शक्तिशाली बनाने में सहायक होती है। बडे–बड़े वन, नदियां, घाटियां आदि अनेक प्राकृतिक साधन देश के लिए धन के महत्वपूर्ण स्त्रोत हैं। जैसे अरब देशों के धनी होने के कारण इन देशों की भूमि में 'तेल' का अथाव भंडार है। आज संयुक्त राज्य अमेरिका के विश्व में सर्वाधिक धनसम्पन्न होने का कारण उसकी भौगोलिक स्थिति एवं प्राकृतिक साधनों का अथाव भंडार है।

2. जनसंख्या का आधार (Demographic Base) – देश की जनसंख्या अर्थात् मानवीय शक्ति का राष्ट्रीय शक्ति के निर्माण में महत्वपूर्ण स्थान है। राष्ट्रीय शक्ति के निर्माण के लिए जनसंख्या का प्रयाप्त होना आवश्यक है। लेकिन जनसंख्या न तो अत्यधिक और न ही बहुत कम होनी चाहिए। जनसंख्या देश की भूमि और उत्पादन के साधनों के अनुसार होनी चाहिए। इसके साथ यह भी आवश्यक है कि राष्ट्रीय शक्ति के निर्माण के लिए जनसंख्या शिक्षित एवं जागरूक हो।

3. तकनीकी उन्नति (Technological Progress) – आधुनिक युग में राष्ट्रीय शक्ति का निर्माण करने के लिए तकनीकी विकास अनिवार्य है। कोई भी देश तकनीकी विकास के बिना अपनी अर्थव्यवस्था को शक्तिशाली और प्रभाशाली नहीं बना सकता। तकनीकी विकास ने मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में क्रान्तिकारी परिवर्तन किये हैं।

आज का मनुष्य विविध भौतिक सुख–सुविधाओं व साधनों का उपभोग तकनीकी विकास के कारण ही कर पा रहा है। लेकिन ये कहना भी आवश्यक है कि तकनीकी विकास का उद्देश्य मानव कल्याण होना चाहिए ना कि मानवता का विनाश।

4. आर्थिक पद्धति (Economic System) – समुचित आर्थिक प्रणाली से ही किसी देश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ बन सकती है। आर्थिक प्रणाली का रूप पूंजीवाद, समाजवादी अथवा मिश्रित अर्थव्यवस्था का हो सकता है। आर्थिक प्रणाली का चुनाव देश की विशेष आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुसार करना चाहिए। प्रत्येक राष्ट्र के नेताओं का कर्तव्य है कि वे राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुसार आर्थिक प्रणाली का चुनाव करें। राष्ट्रीय शक्ति के निर्माण में उचित आर्थिक प्रणली महत्वपूर्ण स्थान रखती है।

5. शासन प्रणाली (Form of Government) – राष्ट्रीय शक्ति का निर्माण करने में अच्छी शासन प्रणाली का महत्वपूर्ण स्थान है। शासन प्रणाली के अनेक रूप हैं। देश के नेताओं को चाहिए कि वे देश की विशेष आवश्यकताओं के अनुसार शासन प्रणाली का चुनाव करें। शासनप्रणाली के रूपों में किसी देश में एकात्मक (Unitary) शासन प्रणाली लाभदायक हो सकती है। जबकि कुछ देशों में संघात्मक (Federal) स्वरूप अधिक लाभप्रद हो सकता है, इसी प्रकार संसदीय प्रजातंत्र (Parliamentary Democracy) कुछ देशों के लिए तथा अन्य देशों में अध्यक्षात्मक प्रजातंत्र (Presidential Decomaracy) अधिक लाभदायक हो सकती है। अर्थात् विभिन्न देशों के नेतागणों को अपने देश की विशेष परिस्थितियों के अनुसार शासन प्रणाली का चुनाव करना चाहिए, जो राष्ट्रीय शक्ति का निर्माण करने में सक्षम हो।

6. राजनीतिक नेतृत्व (Political Leadership) – राष्ट्रीय शक्ति के निर्धारक तत्वें में एक महत्पूर्ण तथ्व राजनीतिक नेतृत्व है। राजनीतिक नेतृत्व में जन कल्याण की भावना, दूरदर्शिता, निर्णय लेने की क्षमता, जागरूकता, निःस्वार्थ देशभक्ति आदि राष्ट्रीय शक्ति का विकास करती है। जैसे लेनिन, स्आलिन, चर्चिल, लिंकन, माओ, जवाहरलाल नेहरू तथा श्रीमती इन्दिरा गाँधी जैसे नेताओं से राष्ट्रीय शक्ति में बढ़ौतरी होती है। जबकि राजनीतिक नेतृत्व की दुर्बलता राष्ट्र को पीछे धकेल देती है।

7. विदेश नीति (Foreign Policy) – राष्ट्रीय शक्ति का निर्माण करने के लिए उचित विदेश–नीति को ग्रहण करना आवश्यक है। एक अच्छी विदेश नीति का चुनाव राष्ट्र शक्ति के निर्माण में अत्यधिक सहायक हो सकता है। विश्वशक्ति के सभी देश अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं। ऐसी स्थिति में विदेश नीति के संचालक सिद्धान्त निश्चित करना अनिवार्य हो जाता है। कोई विकसित राष्ट्र यदि 'गुट बंदी' की नीति अपनाएंगें तो उन्हें अपनी नीतियों का निर्माण गुटबंदी के आधार पर करना होगा। इसलिए उन्नतशील देशों को गुटबंदी की नीति से मुक्त रहना चाहिए एवं अपनी राष्ट्रशक्ति के निर्माणकारी कार्यों में अन्य देशों को हस्तक्षेप की आज्ञा नहीं देनी चाहिए।

8. संचार के साधन (Means of Communication) – संचार के साधनों का राष्ट्रीय शक्ति के निर्माण में महत्वपूर्ण स्थान हैं संचार के साधन, जैसे – टेलिफोन, डाक–तार, आकाशवाणी एवं दूरदर्शन आदि दूरवर्ती संदेशों को पहुंचाने में सहायक होते हैं। इसी प्रकार रेलों, सड़कों, जलयान, वायुयान एवं अन्य आवागमन के साधन लोगों को आने–जाने की सुविधाएं प्रदान करते हैं। दूसरे ओद्यौगिक विकास, व्यवसायिक दृष्टि से भी उपयोगी सिद्ध होते हैं।

9. राष्ट्रीय चरित्र और राष्ट्रीय मनोबल (National Character and National Morale) – राष्ट्रीय चरित्र और राष्ट्रीय मनोबल राष्ट्रशक्ति के निर्माण में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। राष्ट्रीय चरित्र से अभिप्राय है कि लोग राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत हों तथा राष्ट्रीय हितों को अपने हितों की अपेक्षा प्राथमिकता दें। राष्ट्रीय मनोबल से अभिप्राय लोगों में अपने राष्ट्र के प्रति एक दृढ़ लगन तथा अटूट आत्मविश्वास है। राष्ट्रीय मनोबल ही संकट के समय

सफलता प्राप्त करने की कुंजी है। यह राष्ट्रीय मनोबल ही रण भूमि में लड़ रहे सेनिकों को साहस और उत्साह प्रदान कर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। सुदृढ़ राष्ट्रीय मनोबल ही किसी राष्ट्र को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आदर और सम्मान प्राप्त करने में सक्षम बनाता है।

10. सैनिक तत्व (Military Factor) – राष्ट्रीय शक्ति के निर्माण के लिए सैनिक शक्ति का महत्वपूर्ण स्थान है। सैनिक शक्ति के द्वारा जहां राष्ट्र विदेशी आक्रमणों से अपनी रक्षा करते हैं वहां राष्ट्रों का प्रभाव भी अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ता है। प्रत्येक राष्ट्र अपने राज्य की सुरक्षा के लिए सैनिक शक्ति में वृद्धि करता रहता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वह सेना पर बहुत अधिक खर्च करता है। नये–नये अस्त्र–शस्त्र निर्मित किये जाते हैं। अत्यधिक सैनिक शक्ति की वृद्धि के कारण कभी–कभी युद्ध भी छिड़ जाते हैं। आजकल संयुक्त राज्य अमेरिका सैनिक शक्ति से अधिक प्रभुत्वशाली होने के कारण अन्य राज्यों की तुलना में अत्यधिक शक्तिशाली है।

1.3.9 निष्कर्ष (Conclusion)

राष्ट्रीय शक्ति के निर्माण में अनेक तत्व, जैसे – भौगोलिक स्थिति, जनसंख्या, तकनीकी उन्नति, उचित आर्थिक शासन प्रणाली, उचित विदेश नीति, भरपूर आवागमन और संचार साधन, लोगों का राष्ट्रीय हितों को प्राथमकता देना, राष्ट्रीय चरित्र और राष्ट्रीय मनोबल का होना तथा सैनिक शक्ति आदि महत्वपूर्ण तत्व हैं। इन तत्वों के अतिरिक्त और भी अनेक भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक तत्व हैं जो राष्ट्रीय शक्ति के विकास में सहायक हैं। इसमें संदेह नहीं की सम्भवतः ईमानदार, बुद्धिमान, राष्ट्रीय चरित्र वाले दूरदर्शी नेतृत्व का अस्तित्व सभी तत्वों से अधिक महत्वपूर्ण है। क्योंकि ऐसे नेतागण ही राष्ट्र का बहुमुखी विकास कर सकते हैं।

1.3.10 मुख्य शब्दावली

1. यथार्थवाद
2. करिश्माई
3. संगठन
4. औचित्यपूर्ण
5. केन्द्रित
6. राष्ट्रीय
7. प्रभुसत्ता

1.3.11 अभ्यास हेतू प्रश्न

1. शक्ति से आप क्या समझते हैं? शक्ति के विभिन्न स्त्रोतों का उल्लेख कीजिए।
   (What do you understand by the term 'Power'? Discuss the various sources of Power.)
2. शक्ति से आप क्या समझते हैं? इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन करो।
   (What do you understand by the term 'Power'? Discuss the various kinds of Power.)
3. राष्ट्रीय शक्ति की परिभाषा बताएं। इसके निर्धारक तत्वों की व्याख्या करें।
   (Define 'National Power'. Also explain its determinations.)
4. राष्ट्रीय शक्ति के मुख्य निर्धारक तत्वों का वर्णन करें।
   (Discuss the major determinations of National Power.)

4. राष्ट्रीय शक्ति के निम्नलिखित तत्वों की व्याख्या करें – जनसंख्या, तकनीकी उन्नति।
(Explain the following elements of National Power – Population, Technological Progress.)

5. राष्ट्रीय शक्ति के निम्नलिखित तत्वों की व्याख्या करें – भौगोलिक स्थिति तथा राष्ट्रीय मनोबल।
(Explain the following elements of National Power – Geograhical Position and National Morale.)

1.3.12 संदर्भ सूची

- N.P.Barry. Introduction to Modern Political Theory, London, Macmillan, 1995.
- M.Carnoy, The State and Political Theory, Princeton NJ, Princeton University Press, 1984.
- G. Catlin, A Study of the Principles of Politics, London and NewYork, Oxford University Press, 1930.
- N.J.Hirschmanand C.D.Stefano (eds.), Revisioning the Political Feminist Reconstruction of Tradition concepts in Western Political Theory, West View Press, Harper Collins, 1996.
- D.Heater, Citizenship: The Civic Ideal in World History, Political and Education, London, Orient Longman, 1990.
- D. Held, Models of Democracy, Cambridge, Polity Press, 1987, G Mclellan, D. Held and S.Hall (eds.), The Idea of the Modem Slate, Milton Keynes, Open University Press, 1984.
- D. Miller, Social Justice, Oxford, The Clarendon Press, 1976.
- D. Miller, (ed.), Liberty, Oxford, Oxford University Press, 1991.
- D.Miller, Citizenship and National Indentities, Cambridge, Polity Press, 2000.
- S. Ramaswamy, Political Theory: Ideas and concepts, Delhi Macmillan, 2002.
- R.M.Titmuss, Essays on the Welfare State, London, George Allen and Unwin, 1956.
- F. Thakurdas. Essays on Political Theory, New Delhi, Gitanjali, 1982.
- J. Waldron (ed.), Theories of Rights, New Delhi, Oxford University Press 1984.
- S. Wasby, Political Science: The Discipline and its Dimensions, Calcutta, Scientific Book Agency, 1970.

1.4 सत्ता की अवधारणा (Concept of Authority)

1.4.1 परिचय

सत्ता को राजनीतिक व्यवस्था रूपी शरीर की 'आत्मा' कहा जा सकता है। औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही प्रकार के संगठनों में सत्ता को महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त होती है और राजनीतिक जीवन में सत्ता की अव्हेलना नहीं की जा सकती। कोई व्यक्ति या व्यक्ति समूह बिना औपचारिक सत्ता के होते हुए भी एक विशेष परिस्थिति में सत्ता धारण किये रह सकता है। लोकतन्त्र (Democracy) में सत्ता का अधीनस्थों अर्थात् जनता के द्वारा स्वीकृत किया जाना महत्वपूर्ण होता है।

सत्ता को अंग्रेजी में कहते हैं जो लेटिन भाषा के शब्द 'आक्टोराइटस' (Auctoritas) से निकला है इसका शाब्दिक अर्थ है 'स्वीकृति' या 'सहमति' ('Assent' or 'Consent') प्राचीन रोम में इस शब्द को प्रयोग तब किया जाता था जब किसी कानून को उस समय की सीनेट स्वीकार कर लेती थी। उस समय रोम में यह कहा जाता था कि 'कानून अथवा निर्णय को सत्ता या स्वीकृति प्राप्त हो गई थी।" (The law had acquired authoritas) साधारणतया शक्ति और सत्ता दोनों शब्दों का प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर किया जाता है परन्तु राजनीति शास्त्र में दोनों शब्दों से अलग–अलग तात्पर्य है।

1.4.2 उद्देश्य

1. प्राचीनकाल से ही राजनीति विज्ञान में सत्ता की अवधारणा के महत्व को जानना।
2. सत्ता का पालन करने के पीछे विश्वास, एकरूपता, लोकहित एवं दबाव जैसे आधारें को समझना।
3. सत्ता, शासक व शासितों में मध्य विद्यमान सहमति को समझना।
4. सत्ता के कार्यों का अवलोकन करना।
5. सत्ता व शक्ति के अंतर को समझना।

1.4.3 सत्ता की परिभाषा (Definition of Authority)

स्माज विज्ञानों के अर्न्तराष्ट्रीय ज्ञान–कोष (Encyclopaedia of Social Sciences) के अनुसार सत्ता को कई प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। सत्ता की अनेक व्याख्याएँ की गई हैं, किन्तु अपने सभी रूपों में सत्ता शक्ति प्रभाव (Power Influence) तथा नेतृत्व (Leadership) से जुड़ी हैं।

कुछ महत्वपूर्ण सत्ता संबंधी परिभाषाएँ निम्नलिखित हैंः–

1. यूनेस्को (UNESCO) की एक रिपोर्ट के अनुसार "सत्ता वह शक्ति है जो स्वीकृत, ज्ञात एवं औचित्यपूर्ण हों।"
2. सामाजिक विज्ञानों के विश्व–कोष के अनुसार "सत्ता शक्ति की अभिव्यक्ति है तथा इस बात का संकेत है कि इसके अधीन व्यक्ति इसका पालन करते हैं।" (According to Encyclopaedia of Social Sciences "Authority is a manifestation of power and obedience on the part of those subject to it.")
3. राबर्ट ए. डहल (Robert A. Dahl) के अनुसार "वैधता पूर्ण शक्ति को प्रायः सत्ता कहा जाता है।" (Legitimate power is often called authority.)
4. जोवेनल (Jouvenal) के अनुसार, "सत्ता दूसरे की स्वीकृति प्राप्त करने का गुण है।" (Authority I mean the facility of gaining another man's assent.)

5. मैकाइवर (Maciver) के अनुसार "सत्ता की परिभाषा प्रायः शक्ति के रूप में की जाती है। यह दूसरे से आज्ञाएँ पालन करवाने की शक्ति है।" (Authority is often defined as being pwer, the power to command obediendce.)

6. हन्ना एरन्डट (Hannah Arerndt) के अनुसार, "सत्ता का अभिप्राय वह शक्ति है जो इच्छा पर आधारित है। इसका मुख्य चिन्ह उन लोगों द्वारा उनकी मान्यता है जिनको इनका पालन करेन के लिए न तो दबाव तथा न ही प्रेरणा की आवश्यकता होती है।" (Authority means power that is based on consent, its hallmark is unquestining recognition by those who are asked to obey, neither coercion nor persuasion is needed.)

7. ऐरिक रो (Eric Rowe) के अनुसार, "सत्ता उस शक्ति को कहते हैं जिसे जनता का समर्थन अथ्वा स्वीकृति प्राप्त होती है तथा जिसके प्रयोग द्वारा सरकार तथा सरकारी कर्मचारी जनता का नेतृत्व करते हैं।" (Authority is the power wich enjoys the support or recognition of people and by he use of which Government or the public servants can lead the people.)

8. सी.जे. फ्रेडरिक (C.J. Fredrick) के अनुसार, "सत्ता उस क्षमता को कहा जाता है जिससे तर्क पूर्ण विधि से यह तय किया जाता है कि इच्छा या प्राथमिकता के आधार पर कौन–सा कार्य उचित है।" (Authority is the capacity to justify the process of reasoning what is deserved from the point of view of mere will, desire of perference.)

9. ओसलन (Oslon) के शब्दों में, "सत्ता की परिभाषा औचित्यपूर्ण शक्ति के रूप में की जाती है। ऐसी शक्ति का प्रयोग व्यक्ति को मूल्यों के अनुसार और उन अवस्थाओं में किया जाता है जिनको वह ठीक समझता है।" (Authority is defined as legitimate power that is used in accordance with the subjects, values and under conditions, he views as proper.)

10. एच.ए. साइमन (H.A. Simon) के अनुसार, "सत्ता निर्णय लेने वाली वह शक्ति है जो दूसरों के कार्यों को निर्देशित करती हैं यह उन दो व्यक्तियों का आपसी सम्बन्ध है जिनमें एक विशिष्ट और दूसरा उसके अधीन होता है।" (Authority may be defined as the power to make decisions which guides the actions of another. It is relationship between two individuals one superior and the other subordiante.)

संक्षेप में जब राज्य की शक्ति को वहाँ की जनता का औचित्यपूर्ण (Legitimate) समर्थन प्राप्त हो जाता है तो उसे सत्ता कह जाता है। बिना सम समर्थन के उसक रूप शक्ति का ही रहेगा। दूसरे शब्दों में सत्ता का तात्पर्य ऐसे योग्यता से है जिसका आधार विवेकयुक्त तथा दूसरों की स्वीकृति अथवा सहमति (Assent or Consent) है। यदि कोई व्यक्ति अपने धन के बल से अथवा हिंसक शक्ति द्वारा अपने आदेशों का पालन करवाता है तो उसकी इस क्षमता अथव योग्यता को सत्ता नहीं कहा जा सकता। क्योंकि सत्ता का आधार सदैव विवेकयुक्त तथा वैधता है तथा इसे सम्बद्ध लोगों की सहमति अथवा स्वीकृति अवश्य प्राप्त होती है। यदि सत्ता का प्रयोग तर्कपूर्ण तथा औचित्यपूर्ण नहीं होगा तो सम्बद्ध लोगों की सहमति तथा स्वीकृति प्राप्त नहीं होगी। अतः सत्ता सामान्य स्वीकृति के साथ शक्ति केप्रयोग को कहा जाता है, जो शक्ति के समान शक्तियों के आधार पर नहीं, अपितु उचित होने के कारण, दूसरों के व्यवहार को अपने अनुकूल बनाकर प्रभावित करने का साधन है।

1.4.4 सत्ता की विशेषताएँ (Characterstics of Authority)

राबर्ट ए. डहल (Robert A. Dahl) ने वैध अथवा औचित्यपूर्ण शक्ति को सत्ता कहा है। इस प्रकार सत्ता एक योग्यता है जो तर्क तथा अन्य लोगों की स्वीकृति पर निर्भर करती है। सत्ता दो व्यक्तियों (Persons or individuals) के मध्य एक सम्बन्ध है जिसमें एक व्यक्ति श्रेष्ठ (Superior) और दूसरा अधीन (Subordinate) है। श्रेष्ठ व्यक्ति के

उचित आदेश्ज्ञ का पालन अधीन व्यक्ति द्वारा स्वीकृति व सहमति से किया जाता है। सत्ता की विशेषताएं निम्नलिखित हैंः–

1. वैध शक्ति सत्ता है (Legitimate power is Authority) – राबर्ट ए. डहल ने अपनी पुस्तक 'Modern Political Analysis' में लिखा है कि, "वैध शक्ति या प्रभाव साधारणतया सत्ता कही जाती है।" (Legitimate power is often called authority.)। इसका तात्पर्य यह है कि जब शक्ति का अधार वैधता होता है तब वह सत्ता हो जाती है। सत्ता की वैधता दो उपायों द्वारा प्राप्त की जा सकती है। प्रथम यह सत्ता संविधान या वैधानिक (Consititutional or Legal) हो सकती है। दूसरे यदि शक्ति का प्रयोग तर्कपूर्ण अथवा विवेकयुक्त होता है तो वह सत्ता बन जाती है।

2. सत्ता तर्क पर आधारित है (Authority is based on reason or Logic) – सी.जे. फ्रेडरिक (C.J. Fredrick) ने अपनी पुस्तक 'An Introduction to Political Theory' में लिखा है कि, "सत्ता तर्क का विरोध नहीं बल्कि यह तर्क का साकार रूप है।" (... Authority is not opposed to reason, but is actually the embodiment of reason.)। सत्ता तर्कपूर्ण या विवेकयुक्त है। इससे तात्पवर्य यह है कि सत्ताधारी व्यक्ति का आदेश सुझाव या विचार अन्य व्यक्तियों की दृष्टि से तर्कसंगत है और अन्य व्यक्ति उस तर्क से सहमत हैं तथा इस आधार पर वे सत्ता को मान्यता देते हैं।

3. सत्ता शक्ति नहीं है (Authority is not power) – सी.जे. फ्रेडरिक ने अपनी पुस्तक 'An Introduction to Political Theory' में लिखा है, "सत्ता शक्ति का भेद नहीं है बल्कि यह सत्तव शक्ति के साथ रहता है। यह मनुष्यों और वस्तुओ का ऐसा गुण है जो उनकी शक्ति में वृद्धि करता है, जो शक्ति निर्मित करता है, परन्तु स्वयं शक्ति नहीं है।" (Authority is not a kind of poer, but something that accompanies power. It is a quality in men and things which enhances the power, something which creates power, but is not itself power.)

4. स्वीकृत तथा सम्मानित यूनेस्को (U.N.E.S.C.O.) की एक रिपोर्ट के अनुसार, "सत्ता वह शक्ति है जो कि स्वीकृत तथा सममनित होती है। इसका अर्थ यह है कि सत्ताधारी को अन्य व्यक्ति केवल स्वीकार ही नहीं करते बल्कि सत्ता का सम्मान भी करते हैं। सत्ताधारी के आदेश, सुझाव अथवा विचार केवल उसके डर के कारण ही नहीं माने जाते बल्कि सत्ताधारी के सम्मान के कारण भी माने जाते हैं।

5. संगठन (Organisation) –सत्ता सदैव संगठनात्मक होती है। इसका अर्थ यह है कि यह एक ऐसी शक्ति है जो कि सत्ताधारी की व्यक्तिगत श्रेष्ठता की अपेक्षा पद पर आधारित होती है। श्रेष्ठ पद पर होने के कारण वह अपने अधीनस्थ व्यक्तियों को आदेश्ज्ञ देता है। अन्य शब्दों में उसके आदेश इसलिए मान जाते हैं क्योंकि वह उच्च पद पर आसीन है।

6. दमन शक्ति का कम प्रयोग (Minimum use of Coercion) –सत्ताधारी के आदेशों का पालन केवल दमन के डर के कारण नहीं किया जाता बल्कि इसलिए भी किया जाता है कि आदेश ठीक और उचित होते हैं तथा अधीनस्थ खुशी से सत्ता के आदेशों का पालन करते हैं।

7. सत्ता औपचारिक तथा निश्चित होती है (Authorityis formal and difinite)–सत्ता औपचारिक, निश्चित तथा विशिष्ठ होती है। इसके प्रयोग के नियम व सिद्धान्त होते हैं। परन्तु कुछ एक विद्वान सत्ता को औपचारिक नहीं मानते। इन विद्वानों में सी.जे. फ्रेड्रिक का नाम उल्लेखनीय है। फ्रेड्रिक के अनुसार, "सत्ता शक्ति का रूप नहीं है। परनु यह एक ऐसा तत्व है जो शक्ति के साथ ही रहता है। सत्ता व्यक्तियों तथा वस्तुओं में ऐसा गुण है जो शक्ति उत्पन्न करता है परनतु यह स्वयं शक्ति नहीं है।" (Authority is ot a kind of power, but something that accompanes power. It is a quality in men and things which enhances their power, something

which creates power but is not itself power.)। उदाहरणार्थ – एक व्यक्ति विदेश नीति का विशेषज्ञ हो वह विदेशमन्त्री न होते हुए भी विदेश नीति के निर्माण को प्रभावित कर सकता है।

8. सत्ता तर्क (विवेक) का साकार रूप (Authority is an embodiment of reason) – सी.जे. फ्रेड्रिक के शब्दों में, "जिस व्यक्ति के पास सत्ता होती है, मेरे विचार से उसके पास तर्कपूर्ण व्यवख्या करने की योग्यता भी होती है।" (The man who has authority possesses something that I would describe as the capacity for reasoned elaboration, for giving convincing reasons for what he does or propoese to have others to do.)। फ्रेड्रिरिक का विचार सत्य है कि सत्ता का अधार ठोस तर्क होता है।

9. पद–सोपान या श्रेणीबद्धता (Hierarchy) –सत्ता की स्थापना विभिन्न अधिकारियों के अपासी सम्बन्धों से होती है, जिन्हें पद–सोपान के रूप में स्वीकार किया जाता है। प्रशासन में अधिकारियों की अनेक श्रेणियां होती हैं। उच्च अधिकारी के पास अधिक सत्ता होती है ओर उसके आदेशों का पालन अन्य अधिकारियों को करना पड़ता है। पद–सोपान अथवा श्रेणीबद्धता (Hierarchy) सत्ता में निर्देश, नीरीक्षण और नियंत्रण ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं, जबकि उत्तरदायित्व (Responsibility) नीचे से ऊपर की ओर चलता है।

10. उत्तरदायित्व (Responsibility) –सत्ता का रूप चाहे कोई भी हो, सत्ता सदैव उत्तरदायी होती है। जैसे लोकतांत्रिक (Democratic) व्यवस्था में सत्ताधारी दल (Ruling Party) अपने सभी कार्यों तथा नीतियों के लिए विधानमण्डल के प्रति उत्तरदायी होता है तथा विधानमण्डल जनता के प्रति उत्तरदायी होता है।

11. सत्ता भौतिक नहीं (Authority is not Material) – शक्ति की भांति सत्ता का स्वरूप भी भौतिक नहीं होता, इसलिए इसे ना तो देखा जा सकता है ओर ना ही इसे दिखाया जा सकता है। सत्ता को अनुभव कर सकते हैं देख नहीं सकते। जैसे – कॉलेज के प्रिंसिपल की सत्ता को विद्यार्थी अनुभव करते हैं देख नहीं सकते।

संक्षेप में सत्ता किसी व्यक्ति की वह योग्यता है जिसके आधार पर वह अपने कार्यों की अन्य व्यक्तियों से स्वीकृति तथा सहमति प्राप्त करता है। सत्ता का सार विवेकशील तर्क संगतता तथा वैधता है। हम राबर्ट डहल (Robert Dahl) के शब्दों से सहमत हैं जब वे कहते हैं कि "वैध शक्ति को प्रायः सत्ता का नाम दिया जाता है।" (Legitimate Power is often called authority.)

1.4.5 सत्ता के प्रकार अथवा रूप (Kinds of Authority)

सत्ता की अवधारणा की विवेचना सुकरात (Sacrates), प्लेटो (Plato) और आगस्टाईन (Augustine) आदि के समय से होती रही है, किन्तु इसकी विस्तृत विवेचना बीसवीं सदी के राजनीतिक और समाजशास्त्रीय विश्लेषक मैक्स वेबर (Max Weber) ने औचित्यपूर्णता के आधार पर सत्ता के तीन प्रकारों (Kinds) का वर्णन किया हैः–

1. परम्परागत सत्ता (Traditional Authority):– परम्परागत सत्ता से तात्पर्य उस सत्ता से है जो प्रचलित परम्पराओं या रीति–रिवाजों (Conventions) पर आधारित होती है। लोग किसी विशेष व्यक्ति या अधिकारी के आदेशों का पालन इसलिए करते हैं क्योंकि ऐसा पहले से होता रहा है। इस प्रकार की सत्ता परम्परागत सत्ता कही जाती है। परम्परागत सत्ता प्राचीन समय में कबीलों (Tribes) अथवा जातियों के मुखिया लोगों के पास होती थी। उदाहणार्थ – प्राचीन और मध्यकाल (Middle Ages) में जब राजतन्त्र (Monarchy) का युग था तो पैतृक सिद्धान्त (Patriarchal Theory) के आधार पर राजा गद्दी पर बैठता था तथा जनता उसकी सत्ता को परम्परागत आधार पर स्वीकार करती थी। सामाजिक क्षेत्र में भी भारत में ब्राह्मण जाति को काफी समय पहले तक परम्परा के आधार पर विशिष्ठ स्थान प्राप्त था उनकी आज्ञा का पालन भी लोग परम्परा के आधार पर करते थे। वर्तमान समय में प्रजातन्त्र के कारण परम्परागत सत्ता काफी कम होती जा रही है।

2. वैधानिक तथा संवैधानिक सत्ता (Legal and Constitutinal Authority):– मैक्स वेबर के अनुसार से सत्ता संवैधानिक नियमों के अन्तर्गत पद धारक को प्राप्त होती है। राष्ट्र के सभी पदाधिकारियों (Officials) को संविधान या कानून के द्वारा सत्ता प्राप्त होती है और वे उसी के अनुसार उसका प्रयोग करते हैं। यदि कोई सत्ताधारी व्यक्ति अपनी सत्ता का उल्लंघन करता है तो उसका वैधानिक आधार नहीं रहता। उदाहणार्थ – भारत के राष्ट्रपति (President) को जो शक्तियां भारतीय संविधान (Indian Constitution) द्वारा दी गई उसका आधार संवैधानिक (Constitutional) अथवा वैधानिक सत्ता कहा जा सकता है, इसी प्रकार विभिन्न अधिकारियों द्वारा शासन चलाने के लिए जो शक्तियां प्रयुक्त की जाती है उनका आधार भी संविधान अथवा कानून होता है।

3. करिश्मात्मक सत्ता (Charismatic Authority):– मैक्स वेबर ने सत्ता का तीसरा रूप करिश्मात्मक सत्ता कहा जै। मैक्स वेबर का विचार है, "करिश्मात्मक सत्ता किसी विशिष्ठ व्यक्ति के आदर्श, चरित्र, वीरता एवं अलौकि पवित्रता के प्रति लगन पर आधारित है।" (Charismatic authority rests on devotion, on the specific and exceptional sancity, heroism or exemplary character.)। दूसरे शब्दों में जब एक सत्ताधारी की शक्ति को लोग उसके साधारण गुणों, चरित्र, वीरता (Heroism) अथवा व्यक्तित्व (personality) के कारण उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं तो उसे उस सत्ताधारी की चमत्कारी अथवा करिश्मात्मक सत्ता कहा जाता है। जैसे भारत मे जवाहर लाल नेहरू आदि की सत्ता का आधार उनका करिश्मात्मक व्यक्तित्व था।

ऊपरलिखित के अतिरिक्त सत्ता के कुछ अन्य रूपों को भी मान्यता दी जाती है:–

4. धार्मिक सत्ता (Religious Authority):– धार्मिक सत्ता से तात्पर्य उस सत्ता से है जिसका आधार धार्मिक विश्वास होता है। धार्मिक सत्ता का कोई एक विशेष रूप नहीं हो सकता, क्योंकि धर्म व्यक्ति का व्यक्तिगत विषय है। जैसे ईसाई धर्म (Christianity) को मानने वालों के लिए पोप (Pope) की सत्ता, अमृतसर के स्वर्ण मन्दिर (Golden Temple) के अकाल तख्त (Akal Takth) के प्रमुख ग्रन्थी (Head Priest) की सत्ता तथा जामा मस्जिद (Jama Masjid) के शाही इमाम की सत्ता आदि धार्मिक सत्ता के रूप हैं।

5. राजनीतिक सत्ता (Political Authority):– राजनीतिक सत्ता उस सत्ता को कहते हैं, जो राजनीतिक नेताओं के पास होती है तथा जो किसी सरकारी पद पर आसीन न होते हुए भी सरकार की नीतियों, निर्णयों, शासन संचालन तथा कार्यों को प्रभावित करते हैं। भारत में जय प्रकाश नारायण तथा महात्मा गांधी की सत्ता इसी प्रकार की सत्ता के उदाहरण हैं।

6. औचित्यपूर्ण सत्ता (Legitimate Authority):– औचित्यपूर्ण सत्ता उस सत्ता को कहते हैं जो कानून के अनुसार उचित हो और जिस सब व्यक्ति अपनी सन्तरात्मा के आधार पर स्वीकार करते हैं। जैसे लोकतन्त्र में जनता द्वारा चुनी गई सरकार की सत्ता औचित्यपूर्ण होती है।

7. अवैध अथवा अनौचित्यपूर्ण सत्ता (Illegitimate Authority):– अवैध अथव अनौचित्यपूर्ण सत्ता कानून, संविधान, परम्परा अथवा रीति–निवाजों पर आधारित न होकर अनुचित साधनों जैसे बल, छल–कपट द्वारा प्रापत की जाती है, तो उसे अवैध अथव अनौचित्यपूर्ण सत्ता कहते हैं। जैसे जब कोई व्यक्ति या समूह वैध सत्ताधारी से क्रान्ति अथवा सैन्य बल द्वारा सत्ता छीन ले तो उसे अवैध सत्ता कहेंगे। यह सत्ता स्थायी नहीं होती तथा लोग कभी भी इसके विरूद्ध हो सकते हैं। जैसे आजकल म्यंमार में सैनिक तानाशाही की सत्ता है।

8. विशिष्टजनों की सत्ता (Authority of the Elite):– ऐसीसत्ता ऐसे व्यक्तियों के हाथों में होती है जो बुद्धि, धन, अथ्वा शक्ति के कारण समाज के विशिष्ट वर्ग अथवा अभिजन वर्ग हैं।

9. शक्ति पर आधारित सत्ता (Authority based on force):– इस प्रकार की सत्ता का आधार 'शक्ति या बल' है। यह सिद्धान्त 'जिसकी लाठी उसकी भैंस' (Might is right) पर आधारित है। 'शक्ति सिद्धान्त के अनुसार राज्य

की उत्पत्ति के सिद्धान्तों के अन्तर्गत, शक्तिशाली कमजोरों को अपने अधीन करके स्वयं शासक बन गया तथा उसकी सत्ता का आधार 'शक्ति' था। परन्तु आधुनिक प्रजातन्त्र में यह सिद्धान्त महत्वहीन है। हम टी.एच. ग्रीन (T.H. Green) के कथन से सहमत हैं, जब वह कहता है कि, "राज्य का आधार इच्छ है शक्ति नहीं।" (Will not the force, is the basis, of State.)

निष्कर्ष (Conclusion)

संक्षेप (In brief) में सत्ता के मुख्य दो रूप हैं – (क) वैध सत्ता (Legitimate Authority) तथा (ख) अवैध सत्ता (Illegitimate Authority)। इनके अतिरिक्त मैक्स वेबर ने सत्ता की तीन रूप बताए हैं – (क) परम्परागत सत्ता, (ख) वैधानिक सत्ता एवं संवैधानिक सत्ता तथा (ग) करिश्मात्मक सत्ता (Charismatic Authority) आदि। इनके अतिक्ति सत्ता के अन्य रूप हैं – धार्मिक सत्ता, राजनीतिक सत्ता, बल या शक्ति पर आधारित सत्ताा तथा अभिजन अथ्वा विशिष्ट वर्ग की सत्ता। आदि आधुनिक प्रजातांत्रिक युग में वैधानिक तथा राजनीतिक सत्ता का महत्व अधिक है। आधुनिक व्यक्ति किसी अधिकारी अथ्वा सत्ताधारी के आदेशों का पालन तर्क के आधार पर परख कर करता है। इसलिए वैधानिक सत्ताा अधिक महत्वपूर्ण है। हम टी.एच. ग्रीन के कथन से सहमत हैं जब वह कहता है कि, "राज्य का आधार इच्छा है शक्ति नहीं।" (Will not the force is the basis of State.)

1.4.6 सत्ता के कार्य (Functions of Autority)

सत्ता क कार्यों का अध्ययन निम्नलिखित भागों में किया जा सकता हैः–

1. संगठन में तालमेल अथवा समन्वय की स्थापना (Co-ordination in the Organisation):–सत्ता का एक मुख्य कार्य संगठन में तालमेल अथवा समन्वय की स्थापना करना है। किसी भी संगठन, विशेष रूप से राज्य में सत्ताधारी व्यक्ति का यह कर्तव्य होता है कि अपने अधीन अधिकारियों को आवश्यक आदेश दे तथा संगठन की कार्यविधियों की जानकारी प्राप्त करता रहे। इसके साथ–साथ प्रत्येक संगठन में जो भी योजना बनाई व लागू की जाती है, उसे प्रत्येक सम्बन्धित व्यक्ति तक पहुंचाना सत्ताधारी का कर्तव्य है। जब सम्बन्धित व्यक्तियों से योजना स्वीकृत होती है तो प्रत्येक व्यक्ति स्वयं को उससे जुड़ा हुआ पाता है।

2. नियन्त्रण (Control):–सत्ता को अपनी नीतियों तथा कार्यों के कार्यान्वित करवाने के लिए अपने अधीन कर्मचारियों पर नियन्त्रण रखना चाहिए। नियन्त्रण के अन्तर्गत सत्ताधारी को यह देखना होगा कि उसके अधीन कर्मचारी अपने कर्तव्य उचित ढंग से निभा रहे हैं अथवा नहीं। नियन्त्रण असीमित नहीं होना चाहिए बल्कि इसकी एक सीमा होनी चाहिए।

3. उत्तरदायित्व (Responsibility):–सत्ता का कर्तव्य है कि वह व्यक्तिगत कार्यों तथा समाज द्वारा स्थापित आदर्शों के मध्य एकरूपता स्थापित करती है। ऐसा करने के लिए उसे स्वीकृति (Sanctions) प्राप्त होती है। इस स्वीकृति के कई रूप हो सकते हैं – राजनीतिक, कानूनी, धार्मिक, सामाजिक अथवा नैतिक। स्वीकृतियों के आधार पर सदस्य सत्ता की आज्ञाओं का पालन करते हैं।

4. अनुशासन (Discipline):–सत्ताधारी के लिए अनुशासन आवश्यक है। सत्ताधारी के अधीन व्यक्तियों का अनुशासित होना अत्यन्त आवश्यक है, क्योंकि जब तक कर्मचारी अनुशासित नहीं होंगे, तब तक सत्ता के नियमों एवं आदेशों का पालन तथा कर्तव्यों के प्रति निष्ठा व अनुशासन नहीं होगा, संगठन का लक्ष्य पूरा नहीं होगा। अनुशासन संबंधी नियम बनाए जाते हैं जिन्हें 'आचार संहिता' (Code of Conduct) कहा जाता है। इससे कर्मचारियों को पहले से ही पता होता है कि अपने कर्तव्यों को पूरा न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही होगी। लेकिन इस संहिता का वास्तविक उद्देश्य सुधारवादी होता है।

5. निर्णय (Decision):–सत्ता की सफलता तथा असफलता सत्ताधारी के निर्णय लेने की क्षमता पर निर्भर करती है। सत्ता की सफलता का आधार 'सही समय पर सही निर्णय' (Strike while the iron is hot) सत्ता के लक्ष्यों, उद्देश्यों एवं नीतियों का निर्धारण भी निर्णयों पर आधारित होता है। सत्ताधारी व्यक्ति को समय–समय पर विविध समस्याओं का सामना करना पड़ता है। समस्या के समाधान करने के लिए उचित साधन अपनाना उचित निर्णय पर ही निर्भर करता है। लोकतान्त्रितक युग में तो सत्ताधारी द्वारा उचित और समय अनुकूल निर्णय लेने आवश्यक हैं अन्यथा सत्ताधारी अपनी सत्ता भी खो सकता है।

6. विकास (Development):–सत्ताधारी का मुख्य लक्ष्य विकास होता है। आजकल एक कल्याणकारी राज्य (Welfare State) होने के नाते सत्ता द्वारा कल्याण व विकास को ध्यान में रखकर ही कार्य किए जाते हैं। विकास ही वह धुरी है सत्ता जिसके चारों ओर चक्कर लगाती है।

7. विशेषज्ञों की बुद्धि का प्रयोग (Use of the Advice of Specialist or Experts):–सत्ताधारी का कर्तव्य है कि वह निर्णय लेते समय विशेषज्ञों की राय जान ले। दूसरे शब्दों में सत्ताधारी के निर्णयों में विशेषज्ञों की राय भी सम्मलित होनी चाहिए। इससे शासन की कार्यकुशलता बढ़ती है तथा अधीन कर्मचारी सत्ताधारी के निर्णयों को खुशी–खुशी स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए विशेषज्ञों का सत्ता के पद–सोपान (Hiearachy) में ऊँचा स्तर प्रदान किया जाता है।

1.4.7 सत्ता के आधार (Basis of Authority) अथवा सत्ता की स्वीकृतियाँ (Sanctions of Authority) अथवा सत्ता का पालन क्यों होता है? (Why Authority is Obeyed?)

मनव जीवन के प्रत्येक पक्ष में सत्ता का विशेष महत्व है और कहना गलत न होगा कि सत्ता ही जीवन का मूल आधार है। इस संबंध में यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि सत्ता का पालन क्यों किया जाता है? अन्य शब्दों में वे कौन–कौन से आधार हैं, जिनके कारण व्यक्ति सत्ता का पालन करते हैं? सत्ता के स्थाई आधार सदा के लिए निश्चित नहीं किए जा सकते। क्योंकि इस परिवर्तनशील मानव समाज की गति के साथ–साथ सत्ता के आधारों में भी परिवर्तन होते रहे हैं। सत्ता के विभिन्न आधार अथवा स्वीकृतियां निम्नलिखित हैं:–

1. वैधानिक स्वीकृति (Legal Sanction):–सत्ता की स्वीकृतियों में एक स्वीकृति वैधानिक स्वीकृति भी है। वैधानिक स्वीकृति का अर्थ है सत्ता के पीछे वैधानिकता का होना, यदि किसी अधिकारी या शासन की सत्ता को कानूनी या वैधानिक स्वीकृति प्राप्त नहीं है तो लोग उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं करेंगे।

2. सामाजिक स्वीकृति (Social Sanction):–सत्ता के पीछे सबसे शक्तिशाली स्वीकृति सामाजिक स्वीकृति है अर्थात् समाज का एक बडा वर्ग स्वाभाविक रूप से सत्ता की आज्ञा का पालन करता है। जो लोग सत्ता की आज्ञा का पालन नहीं करते वे लोगों द्वारा अपमानित (Insult) किए जाते हैं। इसीलिए समाज के डर से लोग सत्ता की आज्ञा का पालन करते हैं।

3. उद्देश्य की स्वीकृति (Sanction of Purpose):–सत्ता की आज्ञा का पालन अधीनस्थ कर्मचारी इसलिए करते हैं क्योंकि वे समझते हैं कि ऐसा करने से संगठन के उद्देश्यों की पूर्ति होती है। ये आवश्यक है कि आज्ञा पालन करने वालों में ये विश्वास होना चाहिए कि वे जो कार्य कर रहे हैं उनसे संगठन के उद्देश्यों को पूरा करने में सहायता मिलेगी।

4. मनोवैज्ञानिक स्वीकृति (Psychological Sanction):–सत्ता के सम्बन्ध में मनोवैज्ञानिक स्वीकृति का सम्बन्ध सत्ताधारी व्यक्ति से है। अधीनस्थ कर्मचारी (Subordinates) अपने से उच्चाधिकारी की आज्ञा का पालन मनोवैज्ञानिक स्वीकृति के आधार पर करते हैं। ये कहना उचित होगा कि यदि सत्ताधारी व्यक्ति नेतृत्व के गुणों से युक्त है तो उसकी आज्ञा कापालन निश्चित ही हो जाता है।

5. आर्थिक सुरक्षा की स्वीकृति (Sanction of Economic Security):– कर्मचारी सत्ताधारी की आज्ञा का पालन इसलिए करते हैं, ताकि वे अपने पद पर बने रहें, धन कमाएं तथा सम्मान प्राप्त कर सकें। इस प्रकार आर्थिक सुरक्षा की स्वीकृति सत्ता के लिए स्वीकृति है।

6. जनमत की स्वीकृति (Sancetional of Public Opinion):– जनमत की स्वीकृति सत्ता के पीछे की शक्ति है। आधुनिक युग प्रजातन्त्र का युग है। प्रजातन्त्र में शासन का जनमत पर आधारित होना अनिवार्य है। वर्तमान समय में संवैधानिक स्वीकृति के अतिरिक्त सत्ता का जनमत की स्वीकृति पर आधारित होना भी अनिवार्य है। आधुनिक युग में जनमत सत्ता का एक महत्वपूर्ण आधार है और राज्य सत्ता का तभी स्वाभाविक रूप से पालन हो सकता है यदि यह जनमत पर आधारित हो।

7. उत्तरदायित्व से बचने की प्रवति (Tendency to Avoid Responsibility):– अधीनस्थ कर्मचारी अपने उत्तरादयत्वि से बचने के लिए सत्ताधारी की आज्ञाओं का पालन करते हैं। इस प्रकार कर्मचारियों में उत्तरदायित्व न लेने की भावना से सत्ता की आज्ञा मानने की प्रवृति पैदा हो जाती है।

8. व्यक्तिगत गुणों की स्वीकृति (Sanctions Behind Personal Qualities):–सत्ताधारी कई बार अपने आदेशों का पालन केवल कानूनी आधार पर ही नहीं, बल्कि अपने गुणों तथा योग्यता के आधार पर भी करवाता है।

1.4.8 सत्ता तथा शक्ति में अन्तर (Distinguish between Authority and Power)

चार्ल्स ई. मेरियम (Charles E. Merriam) ने अपनी पुस्तक 'Political Power' में 'शक्ति' और 'सत्ता' में कोई भेद नहीं किया है, लेकिन वास्तव में इस प्रकार का दृष्टिकोण उचित नहीं है। शक्ति दमन का एक यन्त्र है और इसका प्रभाव भौतिक है। सत्ता सहमति पर आधारित हो सकती है और इसके साथ ही अधिक प्रभावदायक हो सकती है। सत्ता को आदेश देने का अधिकार है, जबकि शक्ति आदेश देने की क्षमता है। इस प्रकार शक्ति एक व्यक्ति की क्षमता है और अधिकार को उस व्यक्ति की सत्ता कहा जा सकता है। कभी–कभी शक्ति तथा सत्ता एक ही व्यक्ति में तथा कभी–कभी अलग–अलग व्यक्तियों में भी पाई जा सकती है।

सत्ता तथा शक्ति अर्थ की दृष्टि से भिन्न हैं, परनतु व्यवहारिक रूप में शक्ति का प्रयोग सत्ता के लिए और सत्ता का प्रयोग शक्ति के लिए यिका जाता है। सत्ता एक ऐसी वस्तु है जिसे पाया जाता है, रखा जाता है तथा खोया भी जाता है। सत्ता का स्वरूप प्रायः कानूनी (Legal)होता है, जबकि यह आवश्यक नहीं कि शक्ति का स्वरूप भी कानूनी ही हो। लासवैल (Lasswell) के अनुसार जब शक्ति को कानूनी रूप दिया जाता है तो वह सत्ता बन जाती है तथा आज्ञा प्रदान करने की क्षमता को शक्ति कहा जा सकता है। शक्ति तथा सत्ता का अन्तर निम्नलिखित आधारों पर स्पष्ट किया जा सकता है:–

1. वैधता के आधार पर अन्तर (Difference on the Basis of Legitimacy):–राबर्ट ए. डहल (Robert A. Dahl) ने कहा है, "कानून पूर्ण शक्ति को प्रायः सत्ता कहा जाता है।" (Legitimate power is often called Authority.) । इससे स्पष्ट है कि शक्ति तथा कानून का योग सत्ता बनती है तथा शक्ति कानूनी व गैरकानूनी औचित्यपूर्ण तथा अनौचित्य दोनों हो सकती है। परन्तु सत्ता केवल वैध होती है।

2. बल के आधार पर अन्तर (Difference on the Basis of Force):– शक्ति तथा सत्ता का अर्थ प्रायः नियन्त्रण करने से लिया जाता है। परन्तु शक्ति का आधार बल, कपट, छल योजना, दमन, भय आदि होते हैं। इसके बिल्कुल विपरीत सत्ता नियमों, धारणाओं, तर्कों, वैधता आदि पर आधारित होती है। सत्ता सहमति पर आधारित होती है, फलतः बल की आवश्यकता नहीं है।

3. स्वीकृति प्राप्त करने की क्षमता के आधार पर अन्तर (Difference on the basis of the abilities to gain consent):–सत्ता की परिभाषा देते समय जोवेनल (Jouvenal) ने कहा है कि, "सत्ता से मेरा अभिप्रायः व्यक्ति की

उस योग्यता से है जिसके द्वारा वह अपनी योजनाओं को स्वीकृत करवाता है।" (What I mean by authority is the ability of a man to get his proposals accepted.)। परन्तु जब व्यवहार को बदलने का प्रयत्न किया जाता है उस समय शक्ति का प्रयोग होता है।

4. विवेक के आधार पर अन्तर (Difference on the basis of Reason):– सी.जे. फ्रेडरिक (C.J. Fredrick) ने कहा है कि, "सत्ता उस क्षमता का नाम है जिसके माध्यम से तर्क द्वारा यह निश्चित किया जाता है कि हमारी इच्छा या प्राथमिकता के आधार पर कौन–सा कार्य अधिक उचित है?" (Authority is the capacity to justify the process of reasoning what is deserved from the point of view of mere will, desire or preference.)। कहने का अर्थ यह है कि सत्ता द्वारा जो आदेश दिये जाते हैं वे तर्कपूर्ण और विवेकशील होते हैं। जिसके कारण सत्ताधारी व्यक्ति प्रभावशाली बन जाता है और उसके आदेशों का पालन किया जाता है। इसके विपरीत शक्ति की अवधारणा में तर्क या विवेक का होना अनिवार्य नहीं है। शक्ति के कई रूप हो सकते हैं जैसे प्रभाव (Influence), अनुनय (Persuation), बल, दमन (Coercion) परन्तु तर्क या विवेक शक्ति का मुख्य तत्व नहीं होता।

5. उत्तरदायित्व के आधार पर अन्तर (Difference on the basis of Accountability):–सत्ताधारी अपनी सत्ता के प्रयोग के लिए अपने श्रेष्ठ व्यक्ति, संस्था अथवा जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। जैसे प्रजातान्त्रिक प्रणाली में सत्ताधारी जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इसके विपरीत शक्ति का प्रयोगकर्त्ता अनुत्तरदायी (Unaccountable) होता है।

6. लोकतान्त्रिक आधार पर अन्तर (Difference on the Democratic basis):–सत्ता शक्ति की अपेक्षाकृत अधिक लोकतान्त्रिक है। सत्ता के पीछे सदैव सजनमत की सहमति होती है तथा जनमत ही लोकतन्त्र का आधार है।

7. उद्देश्य के आधार पर अन्तर (Difference on the basis of Objective):– शक्ति की तुलना में सत्ता बहुउद्देश्यीय (Multi-objective) है। सत्ता का प्रयोग सामान्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है, जबकि शक्ति का प्रयोग विशेष उद्देश्यों अथवा स्वार्थी हितों की पूर्ति के लिए हो सकता है। सत्ता का क्षेत्र विस्तृत है जबकि शक्ति का क्षेत्र सीमित होता है।

1.4.9 निष्कर्ष (Conclusion)

शक्ति तथा सत्ता में बहुत अधिक अन्तर होते हुए भी दोनों में निम्नलिखित आधार पर गहरा सम्बन्ध है:–

1. सत्ता आदेश देने का अधिकार है, जबकि शक्ति आदेश देने की क्षमता होती है।
2. जब शक्ति का प्रयोग वैधानिक हो तो वह सत्ता कहलाती है अर्थात् शक्ति + वैधनिकता = सत्ता।
3. एम.जी. स्मिथ (M.G. Smith) के अनुसार, "शक्ति के बिना सत्ता प्रभावहीन होती है तथा बिना सत्ता के शक्ति प्रभुत्व तो स्थापित कर सकती है परन्तु वह संस्थाकृत (Institutionalized) नहीं बन सकती।

1.4.10 मुख्य शब्दावली

1. सत्ता
2. लोकतंत्र
3. कानून
4. जनमत
5. राजनीतिक

6. विशिष्टजन

7. पद–सोपान

1.4.11 अभ्यास हेतू प्रश्न

1. सत्ता की परिभाषा दीजिए। इसके मुख्य लक्षणों तथा स्वरूपों का वर्णन कीजिए।

   (Define Authority. Discuss the main characterstics and kinds of Authority.)

2. सत्ता की परिभाषा दीजिए। सत्ता के मुख्य कार्यों का वर्णन कीजिए।

   (Define Authority. Discuss the main functions of Authority.)

3. सत्ता के आधारों का वर्णन कीजिए।

   (Discuss the basis of Authority.)

4. शक्ति तथा सत्ता में अन्तर कीजिए। इनमें आपसी सम्बन्ध क्या हैं?

   (Distinguish between power and Authority. How are they related to one another?)

5. सत्ता और शक्ति की परिभाषा दें तथा इन दोनों के आपसी भेदों का वर्णन करें।

   (Define Authority and Power and discuss the differences between the two.)

1.4.12 संदर्भ सूची

- N.P.Barry. Introduction to Modern Political Theory, London, Macmillan, 1995.
- M.Carnoy, The State and Political Theory, Princeton NJ, Princeton University Press, 1984.
- G. Catlin, A Study of the Principles of Politics, London and NewYork, Oxford University Press, 1930.
- N.J.Hirschmanand C.D.Stefano (eds.), Revisioning the Political Feminist Reconstruction of Tradition concepts in Western Political Theory, West View Press, Harper Collins, 1996.
- D.Heater, Citizenship: The Civic Ideal in World History, Political and Education, London, Orient Longman, 1990.
- D. Held, Models of Democracy, Cambridge, Polity Press, 1987, G Mclellan, D. Held and S.Hall (eds.), The Idea of the Modem Slate, Milton Keynes, Open University Press, 1984.
- D. Miller, Social Justice, Oxford, The Clarendon Press, 1976.
- D. Miller, (ed.), Liberty, Oxford, Oxford University Press, 1991.
- D.Miller, Citizenship and National Indentities, Cambridge, Polity Press, 2000.
- S. Ramaswamy, Political Theory: Ideas and concepts, Delhi Macmillan, 2002.
- R.M.Titmuss, Essays on the Welfare State, London, George Allen and Unwin, 1956.
- F. Thakurdas. Essays on Political Theory, New Delhi, Gitanjali, 1982.
- J. Waldron (ed.), Theories of Rights, New Delhi, Oxford University Press 1984.
- S. Wasby, Political Science: The Discipline and its Dimensions, Calcutta, Scientific Book Agency, 1970.